भारतीय रिज़र्व बैंक

शिष्टाचार व सुरक्षा कक्ष, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर -17, चंडीगढ़ – 160017

https://www.rbi.org.in

निविदा नोटिस

भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ ने 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ के मुख्य कार्यालय भवन में अग्निशमन कार्मिकों की तैनाती के लिए ई निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की हैं। बारह महीने के लिए कार्य करने की अनुमानित लागत ₹36 लाख है।

1. निविदाकर्ता https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ई-निविदा के माध्यम से ही निविदा के भाग I तथा भाग II में भाग ले सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ताओं को भाग लेने के लिए www.mstcecommerce.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है ।

2. निविदा दस्तावेज दिनांक 20 जनवरी, 2021 से वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा केवल दिनांक 21 जनवरी, 2021 (10:00 बजे) से दिनांक 11 फरवरी, 2021 (10:00 बजे) तक https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा का भाग-I को दिनांक 11 फरवरी, 2021 को अपराहन 03:00 बजे एमएसटीसी की वेबसाइट पर खोला जाएगा ।

3. बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी भी या सभी निविदाकर्ताओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष/ PROTOCOL AND SECURITY CELL
चंडीगढ़/ CHANDIGARH

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में बैंक कार्यालय में अग्निशमन कार्मिक प्रदान करने हेतु संविदा के लिए ई-निविदा

E-Tender for Providing Fire Fighting Staff at the Office Premises of Reserve Bank of India, Chandigarh

आरबीआई/**चंडीगढ़/अन्य/12/20-21/**ईटी/**443**

RBI/Chandigarh/Others/12/20-21/ET/443

डिस्क्लेमर

भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार व सुरक्षा कक्ष, चंडीगढ़, जिसे आगे बैंक के रूप में उल्लिखित किया है, ने इच्छुक पक्षकारों को संविदा की पृष्ठभूमिय जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज़ को तैयार किया है। हालांकि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है तथा यह मानते हैं कि यह सही है, इस दस्तावेज़ में दी गई सूचना या इससे संबन्धित दी गई कोई अन्य सूचना की पूर्णता तथा विशुद्धता के संबंध में न तो बैंक और न ही इसके प्राधिकारी या एजेंसियां और न ही इसके संबन्धित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट्स या परामर्शदाता स्पष्ट या निहित रूप से कोई वारंटी या कोई बयानी नहीं देते हैं ।

यह सूचना विस्तारपूर्वक नहीं बनाई गई है। इच्छुक पक्षकारों से अपेक्षित हैं कि वे अपनी ओर से स्वयं पूछताछ कर जानकारी लें तथा प्रतिवादी से अपेक्षित है कि वे लिखित में पुष्टि करें कि उन्होनें ऐसा कर लिया है तथा वे निविदा प्रस्तुत करने में बैंक द्वारा दी गई सूचना पर आश्रित नहीं हैं । यह सूचना इस आधार पर दी जा रही है कि यह बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसियों या उसके किसी संबन्धित अधिकारियों, एजेन्टों या परामर्शदाताओं पर बाध्यकारी नहीं है। इस दस्तावेज़ के हिन्दी और अँग्रेजी संस्करणों के बीच अर्थों के विवाद की स्थिति में, अँग्रेजी संस्करण की व्याख्या लागू होगी ।

बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा को आगे न करें या संविदा की संरचना में बदलाव न करें, इस दस्तावेज़ में दर्शायी समय सारणी में परिवर्तन न करें या लागू की जाने वाली प्रक्रिया में बदलाव न करें। उसके पास यह भी अधिकार सुरक्षित है कि वह इच्छुक पक्षकार के साथ आगे चर्चा करने से मना कर दें। इसमें हितधारक किसी व्यक्ति या संस्था को किसी भी तरह की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़

शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष

आरबीआई,चंडीगढ़ के कार्यालय परिसरों में अग्निशमन कार्मिकों को प्रदान करने के लिए संविदा

विषय वस्तु सारणी

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग I	
खंड I	ई निविदा की अनुसूची (एसओटी)	5
खंड -II	Important Instructions Regarding E-tender	7
खंड III	बोलीकर्ताओं को सामान्य अनुदेश (GITB)	13
खंड -IV	मूल्यांकन /चयन मानदंड	27
खंड -V	संविदा की सामान्य व विशिष्ट शर्तें (अनुलग्नक -I – IV)	31
अनुलग्नक -I	आवश्यक अग्नि शमन कार्मिकों के विवरण	31
अनुलग्नक -II	कार्यों और सेवाओं का कार्यक्षेत्र	32
अनुलग्नक -III	संविदा के निबंधन और शर्तें	38
अनुलग्नक e-IV	कार्य दंड शर्त	50
खंड VI	मानक फॉर्मेट (अनुलग्नक -V - XII)	54
अनुलग्नक -V	निविदाकार के पत्रशीर्ष पर दिया जाने वाला वचनबद्धता पत्र	55
अनुलग्नक -VI	एमएसटीसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची	58
अनुलग्नक -VII	सहभागिता करने वाली एजेंसी की मूल जानकारी	61
अनुलग्नक -VIII	बैंकरों का ब्योरा	63
अनुलग्नक -IX	बैंक पर तकनीकी मूल्यांकन के लिए जांच सूची	64
अनुलग्नक -X	एजेंसी के कार्यप्रदर्शन के संबंध में ग्राहक प्रमाणपत्र	68
अनुलग्नक -XI	बैंकर से वित्तीय विश्वसनीयता प्रमाणपत्र	70
अनुलग्नक -XII	टर्नओवर तथा अनुभव प्रमाणपत्र	71
अनुलग्नक XIII	बैंक गारंटी के लिए प्रोफॉर्मा	73
	भाग II	
खंड VII	वित्तीय बोली	77
अनुलग्नक -XIV	गणना शीट	79

खंड -I

ई निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1.	विभाग का नाम	शिष्टाचार व सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक,चंडीगढ़
2.	ई निविदा संख्या :	RBI/Chandigarh/Others/12/20-21/ET/443
3.	ई निविदा नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ के कार्यालय परिसर में अग्निशमन कर्मचारी (अग्नि पर्यवेक्षक और फायरब्रिगेड) प्रदान करने के लिए सेवा संविदा
4.	निविदा रूप	ई अधिप्राप्ति प्रणाली ऑन लाइन (भाग I – तकनीकी बोली तथा भाग II – वित्तीय बोली https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) द्वारा
5.	निविदा का अनुमानित मूल्य (कर सहित)	रु 36.00 लाख (रुपए छत्तीस लाख केवल)
6.	डाउनलोड करने के लिए पक्षकारों को उपलब्ध निविदा की दिनांक	21 जनवरी, 2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे)
7.	एमएसटीसी पर तकनीकी बोली व वित्तीय बोली प्रारम्भ की दिनांक	21 जनवरी, 2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे)
8.	पीएंड एस कक्ष, आरबीआई,चंडीगढ़ पर बोलीपूर्व बैठक की दिनांक	28 जनवरी, 2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे)
9.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹ 72,000.00 (रुपए बहत्तर हजार केवल), एनईएफ़टी द्वारा: लाभार्थी का नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ लाभार्थी खाता सं: 186003001 आईएफ़एससी : RBIS0CGPA01 (5वां तथा 10वां अंक शून्य है)

		ईएमडी विप्रेषित करने के प्रमाण को एमएसटीसी वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा ।
10.	ईएमडी प्रस्तुति की अंतिम दिनांक	11 फरवरी, 2021 (1000 बजे)
11.	तकनीकी बोली व वित्तीय बोली की ऑन लाइन प्रस्तुति की अंतिम दिनांक	11 फरवरी, 2021 (1000 बजे)
12.	भाग-I, अर्थात तकनीकी बोली खोलने का समय व दिनांक	11 फरवरी, 2021 (1500 बजे)
13.	भाग-II, अर्थात वित्तीय बोली खोलने का समय व दिनांक	केवल उन बोलीदाताओं का भाग II अर्थात वित्तीय बोली जिनके भाग I अर्थात तकनीकी बोली को आरबीआई, चंडीगढ़ द्वारा स्वीकार्य पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा । ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा दिए गए वैध ईमेल के माध्यम से भागII अर्थात वित्तीय बोली खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।
14.	लेनदेन शुल्क	जो भी लेन देन शुल्क लागू है, उसे ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूरी करने हेतु मै एमएसटीसी लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा ।

खंड -II

ई निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक की ई-अधिप्राप्ति प्रक्रिया है। ई-अधिप्राप्ति सेवा प्रदाता/संविदाकार/ वेंडर एमएसटीसी लिमिटेड है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा और बाद में यदि कोई शुद्धिपत्र हो तो निविदा आमंत्रण सूचना को पढ़ें और समझें।

ई निविदा की प्रक्रिया :

1. **पंजीकरण** : इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-अधिप्राप्ति वेबसाइट के साथ वेंडर का पंजीकरण करना शामिल है जो निशुल्क है । पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के साथ-साथ इंटरनेट पर वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी । सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर के पास श्रेणी ||| हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। वेंडर इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। एमएसटीसी/आरबीआई, चंडीगढ़ ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)

विशेष नोट : तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को ऑन लाइन ही https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer_login.jsp पर ही प्रस्तुत करना होगा।

(a) वेंडरों से अपेक्षित है वे ऑनलाइन इस प्रकार पंजीकरण करें www.mstcecommerce.com→ eProcurement → PSU / Govt.Depts → RBI. कृपया विवरण भरकर और स्वयं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाकर वेंडर के रूप में पंजीकरण करें → सबमिट करें

(b) वेंडरों को एक प्रणाली जनित मेल प्राप्त होगी जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगी जो पंजीकरण फार्म भरते समय प्रदान की गई है ।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, चंडीगढ़, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।

एमएसटीसी संपर्क व्यक्ति

वेबसाइट पता : “https://mstcindia.co.in/content/contact.aspx”

→फिर सर्च करें “Chandigarh Region”

एमएसटीसी हेल्पडेस्क नंबर : 033-2290-1004

गूगल हैंग आउट ID- (टेक्स्ट चैट के लिए)- mstceproc@gmail.com

आरबीआई चंडीगढ़ पर संपर्क व्यक्ति

(i) श्री गौरव कुमार बाजपेई, सहायक प्रबन्धक, शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ ईमेल : gkbajpai@rbi.org.in, फोन नंबर .: 0172- 2702271 एक्स 1038

(ii) श्री धर्मेंद्र सिंह, समप्र, शिष्टाचार एवं सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ ई-मेल : dsmajoka@rbi.org.in, फोन नंबर .: 0172- 2720525

2. **सिस्टम अपेक्षाएँ** :

a. विंडो XP-SP3 तथा ऊपर का / विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम

b. IE-7 तथा इससे ऊपर का इन्टरनेट ब्राउज़र

c. साइनिंग टाइप डिजिटल हस्ताक्षर

d. JRE-7 अपडेट 9 तथा ऊपर के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाए तथा सिस्टम में इंस्टाल किया जाए ।

e. डिसेबल करने के लिए “Protected Mode” for DSC to appear in the signer box निम्नलिखित सेटिंग अपनायी जाए .

   i. Tools > Internet Options >Security > Disable protected Mode If enabled- i.e., Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”. Other Settings:

   ii. Tools > Internet Options > General > Click on Settings under “browsing history/ Delete Browsing History” > Temporary Internet Files > Activate “Every time I वेबवेज पर जाएँ”.

f. To enable ALL active X controls and disable ‘use pop up blocker’ under Tools > Internet Options > custom level (**www.mstcecommerce.com पेज से कृपया आईई सेटिंग्स तुरंत रन करें)**

जी) अधिक जानकारी के लिए, वेंडर www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर गाइड और एफएक्यू का संदर्भ कर सकता है।

3. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली

को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। निविदा में दिए गए अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निविदाएं खोली जाएंगी।

4. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय/मूल्य प्रारूपों में की जाएंगी।

5. **लेन देन शुल्क के लिए विशेष नोट** : सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर लॉगिन में माय मेनू के अंतर्गत 'लेनदेन शुल्क भुगतान' लिंक का उपयोग करते हुए वेंडर लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। वेंडरों को इवेंट ड्रॉप डाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर के पास एनईएफ़टी या ऑनलाइन भुगतान से इसकी अदायगी करने की सुविधा होगी। एनईएफ़टी का चयन करने पर सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर एक फॉर्म भरकर एक चालान जनरेट करेंगे। इस चालान में बिना कोई बदलाव किए सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर चालान पर छपे हुए विवरण अनुसार लेनदेन शुल्क का विप्रेषण करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर के पास यह प्रावधान होगा कि वे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करें। जैसे ही यह भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी, लेनदेन शुल्क स्व प्राधिकृत हो जाएगा तथा सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

6. **लेन देन शुल्क वापस करने योग्य नहीं है** . एक वेंडर को लेनदेन शुल्क के लिए भुगतान किये बिना ऑनलाइन ईनिविदा की सुविधा नहीं मिलेगी।

नोट : बोली लगाने वालों को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रक्रिया के समापन समय से पहले ही लेन देन शुल्क समय से पहले प्रेषित कर दें ताकि स्वयं को बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।

7. अपलोड किए गए निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान ही ईमेल द्वारा भेजी जाएगी । इसलिए वेंडरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके कॉर्पोरेट ईमेल आई डी एमएसटीसी के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय मान्य और अद्यतन कर दिये हैं । वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें ।

8. एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई निविदा में एक्सेस नहीं किया जा सकता है (निविदा आमंत्रण सूचना)।

9. **ई निविदा में बोली लगाना** :

a. वेंडरों को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक बयाना जमा राशि (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेन-देन शुल्क वापसी करने योग्य नहीं है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर का ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

b. एमएसई पंजीकृत बोलीकर्ताओं को ईएमडी के भुगतान की छूट नहीं है ।

c. इस प्रक्रिया में तकनीकी तथा वित्तीय /मूल्य बोली की प्रस्तुति के लिए इलेक्ट्रानिक बोली लगाना शामिल है ।

d. जिन वेंडरों ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, केवल वे एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं www.mstcecommerce.com → eprocurement → PSU/Govt. Depts → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event.

e. सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर को JAVA एप्लिकेशन चलाने की अनुमति होनी चाहिए। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर खोलने के तुरंत बाद की जानी है। फिर उन्हें सामान्य निबंधनों व वाणिज्यिक स्पेसिफिकेशन भरना होगा और उन्हें सेव करना होगा। इसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलता है तो सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सेव या प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।

f. तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए सेव पर क्लिक करना होगा । एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसी को भरना होता है और फिर वेंडर को अपनी वित्तीय बोली को दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

g. वेंडरों को यह अनुदेश दिये जाते हैं कि वे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए '**Attach Doc**' बटन का उपयोग करें। इससे बहुत से दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं ।

h. सभी मामलों में, वेंडरों को अपनी बोली प्रस्तुत करने के समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा ।

i. पूरी ई निविदा प्रक्रिया के दौरान, वेंडर्स एक दूसरे से और हर किसी से भी पूर्णत गुमनाम रहेंगे।

j. ईनिविदा फ्लूर पूर्वघोषित तिथि और समय से तथा उपर्युक्त अनुसार निर्धारित अवधि के लिए खुला रहेगा ।

k. ईनिविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां कानूनी रूप से वेंडर के लिए बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और क्रेता द्वारा उस बोली की स्वीकृति से आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और सेवा प्रदाता या संविदाकार या वेंडर के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगा।

l. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

m. आरबीआई, चंडीगढ़ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निविदा को पूर्ण रूप से या इसके किसी भाग, जैसा भी मामला हो, को इसका कोई कारण बताए बिना निरस्त या स्वीकृत या हटाएँ या आगे बढ़ाएं ।

n. इन निविदा दस्तावेज़ की निबंधनों तथा शर्तों से अलग कोई शर्तें स्वीकार्य नहीं होंगी । किसी भी वेंडर द्वारा ई निविदा फ्लूर में बोली की प्रस्तुति इस निविदा के लिए निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करते हैं ।

10. इस निविदा के परिणामवश कोई भी आदेश इसमें दिये गए निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार शासित होगा ।

11. तकनीकी तथा वित्तीय निबंधनों तथा शर्तों से अलग शर्त की की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए इस ईनिविदा को निरस्त कर या बोलियों की प्राप्ति की देय दिनांक को आगे बढ़ा सकता है ।

13. वेंडरों से अनुरोध है कि वे सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए www.mstcecommerce.com/eprochome पेज में वीडियो देखें ।

खंड -III

बोलीकर्ताओं को सामान्य अनुदेश (GITB)

शर्तों की सारणी

A. सामान्य

1. निविदा का कार्यक्षेत्र
2. निषिद्ध कार्य
3. योग्य निविदाकार / योग्यता मापदंड

B. निविदा दस्तावेज़ की विषय वस्तु

4. निविदा दस्तावेज़ के खंड
5. निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण, बोली-पूर्व बैठक
6. निविदा दस्तावेज़ का संशोधन

C. निविदाओं की तैयारी

7. निविदा करने की लागत
8. निविदा में शामिल दस्तावेज़
9. निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी तथा लेन देन शुल्क
10. निविदा का पत्र
11. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़
12. विभाग का दौरा
13. निविदाओं की वैधता की अवधि

D. निविदाओं की प्रस्तुति व खोलना

14. निविदाओं की प्रस्तुति, सीलिंग व मार्किंग करना
15. निविदाओं की प्रस्तुति की अंतिम दिनांक
16. प्रति बोलीकर्ता की एक बोली
17. देरी से प्राप्त निविदाएँ
18. निविदा खोलना

E. निविदाओं की जांच

19. गोपनीयता

20. निविदाओं का स्पष्टीकरण

F. निविदा मूल्यांकन व तुलना

21. निविदाओं का मूल्यांकन
22. निविदाकारों की योग्यता
23. किसी एक निविदा को स्वीकार करने का या किसी एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का बैंक का अधिकार

G. संविदा अवार्ड करना

24. अवार्ड मानदंड
25. अवार्ड की अधिसूचना
26. संविदा पर हस्ताक्षर करना
27. कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति

बोलीकर्ताओं को सामान्य अनुदेश

A. सामान्य	
1. **निविदा का कार्यक्षेत्र**	1.1 बैंक आरबीआई, चंडीगढ़ के कार्यालय परिसर में अग्निशमन कार्मिकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र प्रतिष्ठित एजेंसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित कर रहा है। संविदा अवधि के लिए संविदा का अनुमानित मूल्य जीएसटी सहित 36.00 लाख रुपये (केवल छत्तीस लाख रुपये) है। इस निविदा दस्तावेज के खंड ।। में ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। 1.2 अनुलग्नक-1 में आवश्यक अग्निशमन पर्यवेक्षक, फायरब्रिगेड की संख्या का विवरण प्रदान किया गया है। बैंक के पास अग्निशमन कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या को बढ़ाने/कम करने का अधिकार सुरक्षित है । 1.3 कार्य और सेवाओं के कार्यक्षेत्र का अधिक विवरण, सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अग्निशमन कर्मचारियों के विवरण की गणना अनुलग्नक -II में की जाती है।
2. निषिद्ध कार्य	2.1 बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, एजेंसियां, जो बैंक के साथ व्यापारिक संबंध रखने के इच्छुक हैं, संविदा की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें । इस नीति के अनुसरण में, बैंक: बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, संविदादार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, संविदा या कार्य में लगाने की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें । इस नीति के अनुसरण में, बैंक: (ए) परिभाषित करता है, इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए नियम निषिद्ध कार्य के रूप में हैं: (i) "भ्रष्ट प्रथा" का अर्थ है, किसी अन्य पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेंट, देना, प्राप्त करना या याचना करना; (ii) "कपटपूर्ण व्यवहार" का अर्थ किसी भी कार्य या चूक से है, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जिससे कोई एक पक्षकार को जानबूझकर या लापरवाही

	से गुमराह करे, या गुमराह करने का प्रयास करे, वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए; (iii) "बलपूर्वक कार्य" का अर्थ है, किसी एक पक्षकार के कार्यों को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पक्षकार या पक्षकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या हानि या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना ; तथा (iv) "मिलीभगत प्रथा" का अर्थ दो या अधिक पक्षकारों के बीच एक व्यवस्था है, जिसका प्रयोजन एक अनुचित उद्देश्य की पूर्ति है जिसमें किसी अन्य पक्षकार के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना शामिल है; (b) बैंक अवार्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित हो जाता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता इस निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है; (c) किसी भी समय बैंक यदि यह तय करता है कि निविदाकार संविदा के निष्पादन के लिए या में प्रतिस्पर्धा करने में निषिद्ध कार्यों में लिप्त है तो या अनिश्चित काल के लिए या कथित अवधि हेतु निविदाकार को अयोग्य घोषित कर सकते हैं 2.2 इसके अलावा, निविदाकर्ताओं को खंड V में संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तों में बताए गए प्रावधानों की जानकारी रखनी होगी।
3. योग्य निविदाकार / योग्यता मानदंड	बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी को कंपनी या फर्म या स्वामी के रूप में भारत सरकार के वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए। एक कंपनी के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, कंपनी का एसोसिएशन ज्ञापन और अन्य संबंधित दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। भागीदारी फर्म के मामले में, भागीदारी

	विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों के विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों के विवरण के साथ उनके नाम व पता या पते प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अनुबंध की अवधि के दौरान, एजेंसी नवीनीकरण, जहां भी लागू हो, द्वारा मान्य पंजीकरण या लाइसेंसों को बनाए रखेगा। आवेदन करने के इच्छुक बोलीकर्ताओं को आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक को उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और MSTC पर अपलोड करने के लिए एक अधिकारी को प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। इस आशय का प्राधिकरण पत्र एमएसटीसी वेब साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। निविदा में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करने की मूल न्यूनतम आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं: निविदा में भाग लेने की अर्हता प्राप्त करने के लिए बुनियादी न्यूनतम अपेक्षाएँ इस प्रकार नीचे दी हैं: 3.1 **<u>अनुभव</u>**: क) एजेंसी को निम्नलिखित खंडों में से किसी एक में अग्निशमन सेवाएं प्रदान करनी आवश्यक है । (i) पाँच सितारा या उससे ऊपर के होटलों, (ii) अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डों, (iii) मेट्रो रेलवे स्टेशनों, (iv) लक्जरी शॉपिंग मॉल, (v) प्रतिष्ठित सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों/उद्यमों, (vi) शैक्षिक संस्थानों/परिसरों/छात्रावासों आदि में । (बी) उपरोक्त स्थानों में से किसी एक में उपरोक्त कार्यों को निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जब निविदा आमंत्रित की गई थी (पिछले महीने के अंतिम दिन तक अर्थात (31 दिसम्बर, 2020) आवेदकों को अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी होगी जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा <u>अनुलग्नक</u> Xii के अनुसार हो एवं कम से कम एक पूर्णता प्रमाण पत्र/कार्य आदेश/करारनामे की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए ताकि यह पुष्टि की जा सके कि कंपनी 01 दिसंबर, 2015 को या उससे पहले अग्निशमन सेवा के व्यवसाय में रही है। 3.2 **<u>प्रत्येक समाप्त किए गए कार्य के न्यूनतम वर्ष</u>**

	क) सफलतापूर्वक समान कार्यों को पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई भी होना आवश्यक है : (i) इसी तरह का एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम नहीं हो (अर्थात अट्ठाईस लाख अस्सी हजार रुपये और उससे अधिक) या (ii) इसी तरह के दो व्यक्तिगत कार्यों की लागत अनुमानित लागत का 50% से कम नहीं हो (अर्थात अठारह लाख रुपये और उससे अधिक) या (iii) इसी तरह के तीन व्यक्तिगत कार्यों की लागत अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं हो (अर्थात चौदह लाख चालीस हजार रुपये और उससे अधिक) बी) न्यूनतम पात्रता की पुष्टि करने के लिए अनुलग्नक -X के अनुसार संतोषजनक कार्य समाप्ति/निष्पादन के लिए ग्राहक रिपोर्ट अपलोड की जानी है । ग्राहकों के लिए प्राप्त किया श्रम लाइसेंस (जिनके प्रदर्शन प्रमाण पत्र न्यूनतम पात्रता की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए गए हैं) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है यदि **20** या अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति की गई थी । (सी) मूल्यांकन मैट्रिक्स (खंड **IV** का भाग बी) के अनुसार स्कोरिंग के लिए प्रस्तुत किए गए अन्य संतोषजनक कार्य समाप्ति/प्रदर्शन प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम पात्रता की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए गए के अलावा) अलग से अपलोड किए जाने हैं । 3.3 **<u>कार्यालय का पता</u>** . निविदाकर्ता का चंडीगढ़/मोहाली/पंचकूला ट्राई-सिटी में एक कार्यालय/उप कार्यालय होना चाहिए। किसी संपर्क व्यक्ति के विवरण के साथ पूरा पता प्रदान किया जाना चाहिए । 3.4. **<u>वार्षिक टर्न ओवर</u>** . पिछले 3 वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2020 तक के दौरान अग्नि संरक्षा सेवाओं के देने से उनका न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 36 लाख रुपये (केवल छत्तीस लाख रुपये) होना चाहिए। इसके संबंध में दस्तावेज को अनुलग्नक -XII के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है।

	3.5 **<u>ISO प्रमाणीकरण, SA 8000, OHSAS 18001</u>**. बोलीकर्ता के पास यह प्रमाणीकरण ISO-9001 / SA-8000 / OHSAS-18001 होना आवश्यक है । 3.6 **<u>ईएसआईसी, ईपीएफ़ओ पंजीकरण</u>**. एजेंसी को ईएसआईसी तथा ईपीएफ़ओ के पास पंजीकृत होना आवश्यक है । 3.7 **<u>प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाणपत्र</u>** चंडीगढ़ श्रम प्रशासन से पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 और कोई अन्य लागू अधिनियम जैसे श्रम विभाग ठेका श्रम (आरएंडए) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि के तहत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र एजेंसी के पास होना आवश्यक है । 3.8 **<u>बैंकर ब्योरे तथा बैंकर की वित्तीय विश्वसनीयता प्रमाणपत्र</u>** बैंकरों के नाम और पते के बारे में पूरी लिखित जानकारी जैसे नाम, वर्तमान संपर्क या डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल, संपर्क अधिकारियों के नाम आदि जैसे कि वे अधिकारीगण जिनसे आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा उनके बैंकरों के कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है, को अनुलग्नक XI अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा । एजेंसी को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी किए गए ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा, विशेष रूप से काम के लिए, 36 लाख रुपये अर्थात छत्तीस लाख रुपए के अनुमानित कार्य के वार्षिक मूल्य की समान राशि के लिए।
B. निविदा दस्तावेज़ की विषय वस्तु	
4. निविदा दस्तावेज़ के खंड	निविदा दस्तावेज में दो भाग होते हैं जिनमें नीचे दर्शाए गए सभी खंड शामिल हैं और बोलीदाताओं को सामान्य निर्देशों के अनुसार जारी किए गए किसी भी अनुच्छेद/खंड के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए । <u>निविदा प्रक्रिया (भाग-I)</u>

	• खंड -I: निविदा की अनुसूची • खंड -II: ई निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश • खंड-III: बोलीकर्ताओं को सामान्य अनुदेश • खंड -IV: मूल्यांकन /चयन मानदंड • खंड -V: संविदा की सामान्य व विशिष्ट शर्तें (अनुलग्नक –I से IV) • खंड -VI: मानक फोर्मेट्स (अनुलग्नक -V से XII). **<u>निविदा प्रक्रियाएँ (भाग-II)</u>** • खंड VII: वित्तीय बोली
5. निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण, बोली -पूर्व बैठक	5.1 बोली पूर्व बैठक दिनांक 28 जनवरी 2021 को 1100 बजे पी एंड एस कक्ष, आरबीआई, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017 में आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपने लिखित में प्रश्न, यदि कोई है, बैंक के ईमेल पते pscellcharo@rbi.org.in पर दिनांक 27 जनवरी 2021 से पहले प्रस्तुत कर सकता है । निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि बोली पूर्व बैठक बैठक में भाग ले सकते हैं । 5.2 बोलीदाताओं को पूर्व बोली बैठक की तारीख पर या उससे पहले ईमेल के माध्यम से टेलीफोन पर या ईमेल के माध्यम से उनके सवालों पर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है । इस दस्तावेज़ के पैरा-।, खंड -II में अतिरिक्त संपर्क नंबर और ईमेल पते का उल्लेख किया गया है।
6. निविदा दस्तावेज़ का संशोधन	6.1 निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) और एमएसटीसी वेबसाइट पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। 6.2 जारी किए गए किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा। 6-3 संभावित निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र के कारण उचित समय देना, बैंक अपने विवेक से निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है ।
C. निविदाओं की तैयारी	

7. निविदा करने की लागत	निविदाकर्ता अपने निविदा की तैयारी और इसे प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे, भले ही निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
8. निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़	8.1 निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज़ शामिल होंगे : • निविदा नोटिस • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • बयाना जमा राशि (EMD) • सफल निविदाकर्ताओं द्वारा संविदा प्रदान किए जाने के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी • संविदा क़रारनामा (सफल निविदाकारों द्वारा संविदा के अवार्ड के बा द).
9. निविदा प्रतिभूति व लेन देन शुल्क के रूप में ईएमडी	9.1 निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेनदेन शुल्क वापसी करने योग्य नहीं है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर का ईएमडी निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा। सफल बोलीदाता के ईएमडी को प्रतिभूति जमा में परिवर्तित किया जा सकता है और प्रतिभूति जमा की शेष राशि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करनी होगी । ईएमडी को निर्दिष्ट राशि की कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सफल बोलीदाता को लौटाया जा सकता है। 9.2 ईएमडी के बिना निविदाओं को वास्तविक निविदा के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमएसई निविदाकारों को भी ईएमडी जमा करने से छूट नहीं दी है। 9.3 लेनदेन शुल्क वापसी करने योग्य नहीं है। एक वेंडर को लेन देन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई निविदा को एक्सेस करने की सुविधा नहीं होगी। 9.4 ईएमडी जब्त किया जाएगा, यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या कार्य अवार्ड पर संविदा निष्पादित करने में विफल रहता है।

	9.5 इच्छुक निविदाकर्ता को 11 फरवरी 2021 (1000 बजे) को या पहले भारतीय रिजर्व बैंक, शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष, चंडीगढ़-160017 के पास ईएमडी के रूप में 72,000 रुपये (केवल बहत्तर हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी। NEFT द्वारा निम्नलिखित खाते में : लाभार्थी नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ लाभार्थी खाता संख्या : 186003001 **आईएफ़एससी** : RBIS0CGPA01 (5th **तथा** 10th **अंक शून्य हैं)** • **कृपया लिखित व्याख्या में अग्नि शमन कार्मिकों की निविदा के लिए ईएमडी" लिखें** नोट : बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रक्रिया के समापन समय से पहले लेन-देन शुल्क को समय पहले प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके
10. निविदा का पत्र	निविदाकर्ता बिना किसी परिवर्तन के ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से श्रेणी ।।। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके निविदा प्रस्तुत करेगा। सभी रिक्त स्थान मांगी गई जानकारी के साथ भरे जाएंगे।
11. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़	खंड ।।। (पैरा 3) के अनुसार संविदा करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता खंड V और VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा।
12. विभाग का दौरा	बोलीदाता से अग्निशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा है और उन्हें परिचालन प्रणाली से परिचित होने की सलाह दी जाती है । इसके लिए किये दौरे की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि संविदाकार ने विभाग का दौरा किया है और निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से पहले परिचालन शर्तों की उसे जानकारी हो गई है।
13. निविदाओं की मान्यता की अवधि	13.1 निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से मूल्यों के साथ निविदा की वैधता अवधि 90 दिन होगी। 13.2 अलहदा परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक एमएसटीसी ईकॉमर्स वेबसाइट की व्यवहार्यता के अधीन अपनी निविदाओं की

	वैधता की अवधि बढ़ा सकता है। अनुरोध और जवाब लिखित रूप में किये जाएंगे । 13.3 निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त या वापस नहीं लेगा और ना ही वह उद्धृत या कोट की गई दरों को बदल सकता है।
D. निविदाओं की प्रस्तुति व खोलना	
14. निविदाओं की प्रस्तुति, सीलिंग तथा मार्किंग करना	14.1 निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुति की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। 14.2 निविदाकर्ता अपनी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय बोली, (प्रतिस्पर्धी दरों) के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे जैसा कि निर्धारित प्रारूप में उल्लेख किया गया है (क्रमशः भाग-1, अनुलग्नक -VI और भाग II अनुलग्नक XIV)। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। अधूरी निविदाएँ तुरंत रद्द कर दिये जाएंगे। 14.3 निविदाकर्ता अनुलग्नक -XIV में उल्लिखित सभी घटकों को शामिल करते हुए दरों को उद्धृत करेंगे। 14.4 यदि वांछित/निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक की निविदा को अस्वीकार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
15. निविदाओं की प्रस्तुति की अंतिम दिनांक	15.1 निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई तारीख और समय से पहले । 15-2 बैंक अपने विवेक से निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
16. एक बोलीकर्ता की एक बोली	प्रत्येक बोलीकर्ता स्वयं या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। यदि एक बोलीकर्ता या संयुक्त उद्यम में कोई भी भागीदार एक से अधिक बोली में भाग लेता है, तो बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
17. देरी से प्राप्त निविदाएँ	अंतिम दिनांक के बाद वेबसाइट पर किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

18. निविदा खोलना	बैंक अधिसूचित तिथि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा (भाग-1) खोलेगा। भाग ॥ उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-1 में अर्हता प्राप्त करते हैं । भाग-।। के खोलने की तिथि सफल बोलीदाताओं को उनके वैध ईमेल पते पर ईमेल से सूचित की जाएगी । 18.2 निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने वाले निविदा दस्तावेजों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। 18.2 शर्तों सहित बोलियों को भी तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा ।
E. निविदाओं की जांच	
19. गोपनीयता	19.1 निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित सूचना निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को जो ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर संबंधित है, नहीं बताया जाएगा जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को संविदा अवार्ड संबंधी सूचना नहीं दी जाती है।
20. निविदाओं का स्पष्टीकरण	20.1 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकर्ताओं की योग्यता के बारे में सहायता करने के लिए, बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदाकर्ता से अपने निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जिससे उन्हें जवाब देने का उचित समय मिल सके । किसी निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा जो बैंक के अनुरोध के प्रत्युत्तर में नहीं है । स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पायी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा निविदा के मूल्यों या स्वरूप में कोई परिवर्तन करने की पेशकश, मांग या अनुमति नहीं दी जाएगी । 20.2 यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसका निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी ।
F. निविदा मूल्यांकन व तुलना	
21. निविदाओं का मूल्यांकन	बैंक खंड IV में दर्शाया गया मूल्यांकन मानदंड का उपयोग करेगा ।

22. निविदाकारों की योग्यता	बैंक अपनी सतुष्टि के आधार पर यह तय करेगा कि चयनित निविदाकार खंड ।।। (पैरा 3) के अनुरूप पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं ।
23. किसी भी निविदा को स्वीकार करने का तथा किसी एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का बैंक का अधिकार	23.1 बैंक के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का तथा संविदा अवार्ड से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को खारिज करने तथा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जो की निविदाकर्ताओं के प्रति किसी दायित्व के बिना या किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना होगा । इसके अलावा सशर्त बोलियां तुरंत खारिज कर दी जाएंगी। 23.2 बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । बैंक को बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी प्राप्त है ।
G. संविदा का अवार्ड	
24. अवार्ड मानदंड	बैंक खंड IV में विस्तृत मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकर्ता को शॉर्टलिस्ट करेगा (मूल्यांकन मानदंड).
25. अवार्ड की अधिसूचना	25.1 निविदाकर्ता जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाया जाता है और वित्तीय बोली में वैध दरों के साथ एल 1 है, उसे आम तौर पर निविदा से अवार्ड किया जाएगा। 25.2 जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक अवार्ड की अधिसूचना एक बाध्यकारी संविदा तय करेगी। सफल निविदाकर्ता बैंक द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर पूरे कार्य का कार्यभार लेगा ।
26. संविदा पर हस्ताक्षर करना	सफल निविदाकर्ता काम के अवार्ड के 15 दिनों के भीतर लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बैंक के साथ एक क़रारनामा करेगा। संविदाकार द्वारा स्टांप ड्यूटी वहन की जाएगी और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य अवार्ड की जारी सूचना को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के करारनामे को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी । यह क़रारनामा और दरें शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होंगी, (जैसे 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक), पहले वर्ष में और बैंक द्वारा संविदाकार के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा और आपसी सहमति के अधीन दो और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

27. कार्यप्रदर्शन प्रतिभूति	27.1 सफल निविदाकर्ता संविदा के साथ 1,80,000 रुपये (केवल एक लाख अस्सी हजार रुपये) की कार्यप्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा। 27.2 इस पीबीजी की गणना निविदा मूल्य के बारह महीनों के लिए की गई है और इसे बोलीदाता द्वारा अपने बैंकर से संविदा अवधि से 60 दिनों से अधिक की वैधता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। संविदा को आगे बढ़ाने के मामले में, पीबीजी को नए सिरे से संविदा अवधि के लिए बोलीदाता द्वारा फिर से प्रस्तुत किया जाना है। 27.3 रु॰ सफल निविदाकार द्वारा 1,80,000 रुपये (केवल एक लाख अस्सी हजार रुपये) की प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने या संविदा पर हस्ताक्षर न करने पर, अवार्ड रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को काली सूची में डालने का पर्याप्त कारण होगा । 27.4 संविदा के सफल रूप से पूरा होने और एजेंसी या उसके कर्मचारियों से कोई देनदारियां नहीं होने से संतुष्ट होने के बाद ही संविदा अवधि पूरी होने के 2 महीने बाद ही कार्य प्रदर्शन बैंक गारंटी को बिना ब्याज के रिलीज किया जाएगा । किसी भी शिकायत या लंबित बकाए के मामले में, कार्य प्रदर्शन बैंक गारंटी को सभी बकाया, देनदारियों आदि का समायोजन करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा ।

खंड - IV: मूल्यांकन/चयन मानदंड

ए. तकनीकी बोली मूल्यांकन	
1.	1.1 सबसे पहले, भाग । तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकारों को खंड VI में मानक प्रारूप के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत करनी होगी । 1.2 जांच सूची अनुबंध VI में वर्णित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेजों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना होगा । 1.3 बैंक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों को पात्रता मानदंड के लिए जाँच करेगा और तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए कार्य स्थान के दौरे के निष्कर्षों के साथ-साथ बैंकरों, मौजूदा ग्राहकों के फीडबैक का मूल्यांकन करेगा । बैंक साइट दौरे यदि कोई है, के निष्कर्षों को शामिल कर सकता है । 1.4 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदा की योग्यता में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेक से किसी भी बोलीकर्ता से उसके निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, इसके लिए उसे प्रतिक्रिया देने के लिए उचित समय दिया जाएगा । बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के लिए बैंक का अनुरोध लिखित रूप में होगा। निविदा की मूल्यों और आधार रूप में कोई बदलाव करने की मांग और प्रस्ताव नहीं की जाएगी, या अनुमति दी जाएगी। 1.5 यदि कोई बोलीकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरोध के लिए निर्धारित तिथि और समय तक अपने निविदा की स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसका निविदा अस्वीकार कर दिया जाएगा। 1.6 इस खंड भाग IV के भाग बी में वर्णित मानदंडों और संविदा के निबंधनों और शर्तों में निर्धारित अन्य पूर्वयोग्यता मानदंड के आधार पर अंकों की स्कोरिंग होगी। 1.7 वित्तीय मूल्यांकन के लिए सभी तकनीकी रूप से योग्य फर्मों या एजेंसियों या बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। निविदा के भाग ॥ अर्थात वित्तीय बोली में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य को वित्तीय या मूल्य बोली मूल्यांकन के अनुसार बोलीकर्ता को दिया जाएगा। यदि एक से अधिक एजेंसियों की वित्तीय बोलियों में उद्धृत राशि समान हो जाती है, तो वह कार्य उस एजेंसी को प्रदान किया जाएगा जिसे तकनीकी मूल्यांकन (मूल्यांकन मैट्रिक्स) में उच्च अंक प्राप्त होता है।

	1.8 बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा में पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2.	2.1 मूल्यांकन समिति के सदस्य उपरोक्त मानदंडों के अनुसार बोलीदाताओं के मौजूदा संविदाओं की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं का आकलन करने के लिए स्थल का दौरा कर सकते हैं। 2.2 ऐसे स्थानों की एक सूची अर्थात संपर्क व्यक्ति के संपर्क विवरण के साथ चंडीगढ़ में ग्राहकों के पूर्ण पता विवरण प्रदान करना होगा ।

बी मूल्यांकन मैट्रिक्स

बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक मूल्यांकन मापदंड एवं भारिता स्कोर

क्रम सं		मूल्यांकन मानदंड	भारिता
1.		**विगत पांच वर्षों में औसत कारोबार**	
	क.	₹ 2.0 करोड या उससे अधिक	10
	ख.	₹50 से अधिक परन्तु ₹ 1 करोड से कम	7
	ग.	₹36 लाख अधिक परन्तु ₹50 करोड से कम	5
2.		**पिछले पांच वर्षों में औसत निवल लाभ**	
	क.	₹ 15.0 लाख या उससे अधिक	10
	ख.	₹5 लाख से अधिक परन्तु ₹15.0 लाख से कम	7
	ग.	₹5 लाख से कम	5
3.		**अग्नि शमन सेवा कारोबार में वर्षों की संख्या (31 मार्च 2020 को)**	
	क.	5 वर्ष और उससे अधिक	10
	ख.	3 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	7
	ग.	3 वर्ष	5
4.		**गुणवत्ता संबंधी प्रमाण-पत्र** (31 मार्च 2020 को)	
	क.	ISO 9001 / SA 8000 / OHSAS 18001 (पिछले 5-10 वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया)	10
	ख.	ISO 9001 / SA 8000 / OHSAS 18001 (पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया)	7
5.		**एजेंसी की स्थापना का प्रकार**	
	क.	लिमिटेड कंपनी	10
	ख.	स्वामित्व / साझेदारी फर्म	8

6.		**एजेंसी द्वारा लगाए गए अग्नि सुरक्षा कर्मिकों की संख्या**	
	क.	200 या अधिक	10
	ख.	100 से अधिक परन्तु 200 से कम	7
	ग.	100 से कम	5
7.		**लगाए गए अग्नि शमन कर्मिकों के लिए ग्राहक प्रमाण-पत्र**	
	क.	संविदा मूल्य के न्यूनतम 80 % के साथ के साथ कम से कम 02 कार्य अथवा संविदा मूल्य के न्यूनतम 50 % के साथ के साथ कम से कम 04 कार्य अथवा संविदा मूल्य के न्यूनतम 40 % के साथ के साथ कम से कम 06 कार्य	10
	ख.	संविदा मूल्य के न्यूनतम 80 % के साथ के साथ कम से कम 01-02 कार्य अथवा संविदा मूल्य के न्यूनतम 50 % के साथ के साथ कम से कम 02-04 कार्य अथवा संविदा मूल्य के न्यूनतम 40 % के साथ के साथ कम से कम 04-06 कार्य	7

बोलीकर्ताओं को अंकों का आबंटन इस मूल्यांकन मैट्रिक्स में वर्णित मानदंडों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक से अधिक एजेंसियों द्वारा वित्तीय बोलियों में कोट की गई राशि समान होती है और एक से अधिक एजेंसी एल-1 होती है तो कार्य उस एजेंसी को प्रदान किया जायेगा जिसने अधिक अंक अर्जित किये है ।

अनुभाग V

संविदा की सामान्य एवं विशेष शर्तें

अनुलग्नक-I

वांछित अग्निशमन स्टाफ का विवरण: -

तैनाती का स्थान	पुरूष स्टाफ	महिला स्टाफ	कुल
कार्यालय भवन, आरबीआई, चंडीगढ़	3#	06#	09

चौबीस घंटों की निगरानी के लिए प्रतिदिन 08 घंटों की तीन शिफ्टों में उपलब्ध रहना होगा । प्रत्येक शिफ्ट में ड्यूटी के लिए एक सुपरवाइजर और दो फायरमैन उपलब्ध रहने चाहिए ।

कंपनी को शिफ्ट पर कार्य करने वाले शिफ्ट सुपरवाइजर और प्रत्येक फायरमैन को सप्ताह में एक दिन का अवकाश प्रदान करना होगा और उनके रिलीवर के रूप में अतिरिक्त सुपरवाइजर / फायरमैन की नियुक्ति करनी होगी जिसके लिए आरबीआई अतिरिक्त राशि अर्थात 03 शिफ्ट सुपरवाइजरों और 06 फायरमैनों को किए गए वेतन+ईपीएफ/ईएसआई + बोनस के भुगतान के 1/6 वें का भुगतान करेगा ।

अनुलग्नक-II

कार्य एवं सेवाओं का विषय-क्षेत्र

कार्य का विस्तृत विषय-क्षेत्र : एजेंसी को अपनी दरें कोट करने से पहले कार्य की मात्रा का आकलन करने के लिए साइट का दौरा कर लेने की सलाह दी जाती है । कार्य के विषय-क्षेत्र मे निम्नलिखित शामिल होगा :

फायरमैन की ड्यूटी और उत्तरदायित्व :

1. निगरानी की ड्यूटी :

   क. फायरमैन को ड्यूटी का समय प्रारंभ होने से दस मिनट पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और वह अच्छी तरह से ड्रेस होना चाहिए ।

   ख. अग्निशमन स्टाफ को चौबीसों घंटों कंसोल रूम में रहना होगा जिसमें प्रत्येक शिफ्ट के दौरान एक लीडिंग फायरमैन और दो फायरमैन रहने चाहिए, इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन एक सुपरवाइजर उपस्थित रहेगा । उन्हें अग्नि चेतावनी संबंधी आने वाली कॉल्स और सूचना को रिसीव करने के लिए सतर्क रहना होगा और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी ।

   ग. उन्हें फायर पैनल सिस्टम की निगरानी करनी होगी और अलार्म सूचना, मल्टीपल अलार्म सूचना और अन्य महत्वपूर्ण आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा ।

   घ. ड्यूटी पर उपस्थित कोई भी अग्निशमन कर्मचारी उसके रिलीवर के आने से पहले परिसर को नहीं छोडेगा।

   ङ. उन्हें यह जांच करनी होगी कि हायड्रैंट सिस्टम के लिए सभी रिज़र्व पानी के टैंक पर्याप्त रूप से भरे हो और परिचालन की स्थिति में हो ।

   च. उन्हें निर्धारित अवधि पर सर्विस के लिए देय सभी अग्निशमन उपकरणों की जांच करनी होगी ।

2. आग लगने की घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया : आग लगने या अग्नि चेतावनी की कॉल प्राप्त होने के बाद, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कॉल का विश्लेषण करने के बाद तत्काल कार्रवाई करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व फायरमैन का होता है । किसी चेतावनी की प्राप्ति और प्रारंभिक अग्निशमन गतिविधि या आपात स्थिति के बीच होने वाले कार्यों को निन्न अनुसार किया जायेगा :

   क. प्राप्त चेतावनी के आधार पर घटना का प्रारंभिक मूल्यांकन करना (अर्थात् अलार्म का प्रकार, लोकशन या एरिया, अवसंरचना का प्रकार इत्यादि)

ख. कॉल की प्राप्ति पर नियत लोकेशन पर अग्निशमन यंत्रों और उपकरण के साथ पहुंचना और पोर्टबल अग्निशमन यंत्र और फिक्स अग्निशमन यंत्रों के साथ अग्निशमन कार्य करना ।

ग. आपात स्थिति संबंधी कॉल प्राप्त होने के बाद त्वरित आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने के साथ ही आपात स्थिति की सूचना बैंक को अग्निशमन अधिकारी और फायर ब्रिगेड को प्रदान करना ।

3. स्थिति के संबंध में संवाद : आपात स्थिति के मामले में फायरमैन आपात स्थिति के विषय में सूचना देने में सक्षम होना चाहिए ताकि उपकरणों और अग्नि नियंत्रण कक्ष कर्मिकों में उचित समन्वय प्रदान किया जा सकें ।

क. आपात स्थिति उत्पन्न होने पर वहां प्रभारी सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त अनुदेशों का फायर स्टाफ को पालन करना होगा (अर्थात् कर्मिकों और उपकरणों को लगाना)

ख. आग लगने की घटना के आकार और स्थिति इत्यादि के विषय में अन्य अग्नि कर्मिकों को सूचना देना।

ग. फायरमैन को जन संबोधन प्रणाली के विषय में परिचित होना चाहिए और वह स्थान को खाली करने के आदेश मिलने पर घोषणा करने में सक्षम होना चाहिए

4. <u>उपकरण परिचालन :</u> अग्निशमन उपकरण के परिचालन के संबंध में फायरमैन को भलीभांति परिचित होना चाहिए :

क. फायर पैनल की कार्यप्रणाली: अग्निशमन उपकरण के परिचालन और सिस्टम की कॉल अटेंड करने के संबंध में फायरमैन को भलीभांति परिचित होना चाहिए ।

ख. पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र : फायरमैन को पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र अर्थात् एबीसी, सीओ2, वॉटर मिस्ट, एएफएफएफ, डीसीपी इत्यादि ।

ग. पंप रूम परिचालन : फायरमैन को पंप रूम में रखे पम्पों को परिचालन से परिचित होना चाहिए ।

घ. हॉज पाइप परिचालन : फायरमैन को हॉज के परिचालन से भलीभांति परिचित होना चाहिए अर्थात उपकरण को फायर हाइड्रेंट से जोड़ने या हुक करने और उचित दबाव और मात्रा में पानी

की आपूर्ति कंपलिंग, होज, स्पैनर, रैंचीज और अन्य औजारों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएं।

5. <u>दस्तावेजीकरण :</u> नियुक्त किए गए फायरमैन और सुपरवाइजर को यह जानकारी होनी चाहिए कि उस दिन के फायर सुपरवाइजर की निगरानी के अंतर्गत दस्तावेज किस प्रकार रखे जाते हैं अर्थात् पंप रूम रजिस्टर, फायर लेखा परीक्षा फाइल, उपकरण फाइल, उपस्थिति रजिस्टर। यदि आवश्यक हो तो फायरमैन को अग्नि, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों / उपकरणों के दस्तावेज ले जाने के लिए रनर का कार्य करना होगा । उसे कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए ।

6. <u>दिव्यांग कर्मचारियों / ग्राहकों को सहायता प्रदान करना :</u> अग्निशमन स्टाफ को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपाताकाल की स्थिति में उन्हें दिव्यांग स्टाफ / कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी में सहायता प्रदान करनी होगी या उनकी सहायता के लिए विशेष कर्मचारी की सहायता करनी होगी ।

7. आपात चिकित्सा केयर : अग्निशमन स्टाफ प्राथमिक उपचार प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें चिकित्सीय नुक्सान की स्थिति में सुरक्षित निकासी की प्रतिक्रिया और अंतरिम सहायता के रूप में प्राथमिक उपचार भी प्रदान करना होगा ।

8. <u>उपकरण रखरखाव :</u> अग्निशमन स्टाफ को उपकरणों की बेसिक रखरखाव करने में सक्षम होना चाहिए:

क. अग्निशमन स्टाफ को विभिन्न अग्निशमन उपकरणों नामतः पोर्टेबल और फिक्स प्रणाली के लिए आवश्यक रखरखाव की बेसिक जानकारी होनी चाहिए ।

ख. अग्निशमन स्टाफ को आवधिक आधार पर पोर्टेबल अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि एएमसी कार्य निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है ।

ग. अग्निशमन स्टाफ को आवधिक आधार पर सभी फायर हाइड्रेंट (बाह्य और आंतरिक) और परिचालन के माध्यम से होज पाइप का निरीक्षण करना होगा और उपकरणों के परिचालन करते समय पाई गई कमियों को संज्ञान में लाना होगा । वह सुनिश्चित करेगा कि एएमसी कार्य निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है ।

घ. अग्निशमन स्टाफ को पंप परिचालन की दैनिक आधार पर जांच करनी होगी और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे रिपोर्ट करना होगा । यह सुनिश्चित करना होगा कि एएमसी कार्य निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है ।

ङ. अग्निशमन स्टाफ को प्रतिदिन हीट और स्मोक संसूचकों की दैनिक आधार पर जांच करनी होगी जिसमें प्रतिदिन 10 संसूचकों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और वह इसका एक रिकार्ड रखेगा जिसमें कमियों को रिपोर्ट किया जायेगा । यह सुनिश्चित करना होगा कि एएमसी कार्य निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है ।

च. अग्निशमन कर्मचारियों को आवधिक आधार पर मैनुअल कॉल पॉइन्ट की जांच करनी होगी और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे रिपोर्ट करना होगा ।

छ. अग्निशमन कर्मचारी कार पार्किंग में साप्ताहिक आधार पर स्प्रिकंलिग सिस्टम और गोइंग बेल के परिचालन की जांच करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट करेगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि एएमसी कार्य निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है ।

ज. अग्निशमन स्टाफ फोटो लूमिनिसेंट फ्लोर मार्किंग और बाहर निकलने के साइन बोर्ड की आवधिक आधार पर जांच करेगा और यदि किसी प्रकार की मरम्मत औऱ सुधार की आवश्यकता होगी तो उसे रिपोर्ट किया जायेगा । किसी आपात स्थिति में ढूंढने और बचाव तथा अग्निशमन अभियान में सहायता प्रदान करनी होगी । जब कभी भी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं और वास्तविक आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो फायर ब्रिगेड की सहायता करनी होगी ।

झ. फायर सुरक्षा में सुधार के लिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले किसी अन्य कार्य को भी करना होगा ।

9. <u>अग्निशमन सुपरवाइजर की ड्यूटी और उत्तरदायित्व</u>

क. फायर सुपरवाइजर मुख्य कार्यालय परिसर की समग्र अग्नि सुरक्षा और निगरानी तथा वार्ड व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा ।

ख. अग्नि सुरक्षा सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेगा कि फायरमैन को सभी आवश्यक अनुदेश संप्रेषित कर दिए जाएं और इन अनुदेशों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो ।

ग. अग्निशमन सुपरवाइजर शिफ्ट के दौरान फायरमैन की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा। वह शिफ्ट-वार फायरमैन की नियुक्ति की निगरानी करेगा और उस दिन के विशेष अनुदेशों के बारे में सभी स्टाफ-सदस्यों को सूचित करेगा ।

घ. अग्निशमन सुपरवाइजर निर्धारित फार्मेट में फाइलों और रजिस्टरों नामतः राष्ट्रीय अग्निशमन सर्विस सप्ताह रजिस्टर, फायर लेखा परीक्षा फाइल, आपातकालीन निकासी फाइल, सामान्य पत्राचार फाइल, उपकरण (पंप रूम, फाइल संसूचक, फायर अग्निशमन, उपस्थिति रजिस्टर, रात्रि राउंड रजिस्टर) को भी बनाए रखेगा।

10. बिल्डिंग और फायर संरक्षण उपकरणों का निरीक्षण : अग्निशमन स्टाफ को अग्नि रोकथाम / खतरनाक सामग्री संहिता के उल्लंघन की मासिक या उनकी गतिविधियों के दृष्टिकोण से बिल्डिंग का निरीक्षण करना होगा ।

11. अग्निशमन स्टाफ को परिसर का दो घंटे में एक बार राउंड लेना होगा और तीसरे तल पर मौजूद सर्वर रूम के तापमान की निगरानी सहित इसकी लॉग बुक में प्रविष्टि करनी होगी, राउंड का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल्डिंग की प्रतिदिन की फायर सुरक्षा की जा सकें ।

12. अग्निशमन स्टाफ को खतरे के पहचान के लिए समस्त परिसर की नियमित रूप से निगरानी करनी होगी और उनको हटाना होगा तथा अग्नि और भवन सुरक्षा संहिता के उल्लंघन के बचने के लए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

13. अग्निशमन स्टाफ को सीढ़ियों सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का राउंड लेना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि रास्ता बाधामुक्त है और गैराज एरिया में कोई कचरा या ज्वलनशील मदें नहीं रखी गई हो ।

14 प्रशिक्षण और प्रोफेशनल विकास : अग्निशमन स्टाफ अपने स्तर डोमेन के ज्ञान को बढाने के लिए प्रयास करेंगे और अग्निशमन के संबंध में सर्वोत्तम अभ्यासों की नवीनतम जानकारी से स्वयं को अद्यतन रखेंगे । इसके अतिरिक्त, वह चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और बैंक के आंतरिक आदेशों से भी परिचित होने चाहिए।

15. विभागीय परिचालन और अग्निशमन से संबंधित प्रक्रियाएं :

- क. नवीनतम उपकरणों और तकनीकों की अद्यतन जानकारी रखना ।
- ख. बिल्डिंग के ढांचे से संबंधित नियंत्रण की बेसिक जानकारी रखना ।
- ग. रसायनों और खतरनाक सामग्री की जानकारी रखना ।
- घ. बैंक के स्टाफ, सुरक्षा गार्डों, आईटीबीपी के कर्मिकों, लाउंज स्टाफ, वीओएफ स्टाफ और सेक्टर 30ए और 44बी और 16 स्थित कालोनियों के सुरक्षा गार्डों को नियमित प्रशिक्षण ड्रिल में भाग लेना और प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- ङ. बैंक के परिसर और आवासीय कालोनियों में नियमित अग्निशमन और आपदा प्रबंधन ड्रिल का आवधिक और नियमित तौर पर या जब कभी आवश्यकता हो, आयोजित करना ।

च. अग्नि लेखा परीक्षा और अग्नि सेवा सप्ताह : अग्निशमन सुपरवाइजर वार्षिक अग्नि लेखा परीक्षा और वार्षिक अग्नि सुरक्षा सप्ताह की गतिविधियों के आयोजन में सहायता प्रदान करेगा । वह स्थानीय फायर ब्रिगेड स्थापना के साथ निकट संबंध बनाए रखेगा ।

छ. समर्पित मोबाइल फोन : सर्विस प्रदाता को त्वरित संपर्क के लिए अपने फायर सुपरवाइजर को एक समर्पित मोबाइल पर्याप्त बैलेंस के साथ प्रदान करना होगा । बैंक इस संबंध में किसी भी लागत को वहन नहीं करेगा ।

ज. अग्निशमन सुपरवाइजर प्रशासनिक आवश्यकता और परिचालनगत दिशा-निर्देशों के लिए बैंक के सुरक्षा प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा ।

झ. फायर सुरक्षा में सुधार के लिए बैंक द्वारा दिए गए किसी अन्य कार्य को करना होगा ।

अनुलग्नक-III

संविदा की निबंधन एवं शर्तें

1 प्रदान किया गया कर्मचारी एजेंसी का कर्मचारी होना चाहिए और सभी सांविधिक देयताएं जैसी की ईएसआई, पीएफ, कामगार क्षतिपूर्ति और अन्य सांविधिक भुगतान अर्थात् बोनस इत्यादि का पालन एजेंसी द्वारा किया जायेगा ।

2 एजेंसी को कार्यों के लिए उसके द्वारा नियुक्ति किए गए अग्निशमन स्टाफ के संबंध में श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी (केंद्र सरकार की दरों) और ठेका श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम, 1970, ईपीएफ इत्यादि के अंतर्गत आने वाले सभी कानूनों और सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और एजेंसी सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उस पर लगाए गए किन्हीं अन्य सांविधिक प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा । इन शर्तों में से किसी का भी अनुपालन करने में असफल रहने पर एजेंसी की संविदा को निरस्त किया जा सकता है ।

3 जहां तक ईपीएफ का संबंध है, यह एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह आरपीएफसी द्वारा आबंटित किए जाने वाले पीएफ कोड को प्राप्त करें जिसमें नियुक्त किए गए कर्मचारी को किए गए भुगतान से काटे गए पीएफ अंशदान और नियोक्ता द्वार समान राशि का अंशदान नियुक्त किए गए कर्मचारियों के पूर्ण विवरण को प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर संबंधित पीएफ प्राधिकारियों के पास जमा करेगा । यदि इस संबंध में अनुपालन नहीं करने के कारण कोई दंड / देयता लगाई जाती है तो इसकी जिम्मेवार एजेंसी होगी ।

4 ईपीएफ / ईएसआई इत्यादि के लिए किए गए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को जमा करने की रसीद एजेंसी को पिछले महीने के मासिक बिलों के साथ प्रत्येक माह बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

5 आठ घंटे की शिफ्टें सामान्यतः 0600 बजे से 1400बजे, 1400 से 2200 बजे और 2200 बजे से 0600 बजे तक होंगी । परन्तु शिफ्ट की टाइमिंग को बदला जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा । विस्तारित ड्यूटी घंटों (08 घंटों से अधिक नहीं बढाया जायेगा) की अनुमति नहीं होगी ।

6 भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ द्वारा किसी भी प्रकार की आवास या चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

7 अत्यधिक अप्रत्याशित परिस्थितियों में बैंक एजेंसी के हाउसकीपिंग स्टाफ को बैंक परिसरों के अंदर रहने के लिए कह सकता है। गार्डों के बैंक परिसरों के अदंर रहने के दौरान आवास और खाना बैंक द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा कोई भी अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा

8 बैंक में नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ को सभी आवश्यक दस्तावेजों अर्थात् पहचान पत्र, पुलिस सत्यापन, ईपीएफ, ईएसआ, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध करवाया जायेगा ।

9 नियुक्त किए गए स्टाफ की सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बैंक के साथ परामर्श के बाद किया जायेगा।

10 एजेंसी को बैंक द्वारा की गई किसी प्रतिकूल टिप्पणी, ड्यूटी में लापरवाही इत्यादि या बैंक द्वारा इंगित किए गए किसी भी अन्य कारण के बाद अग्निशमन कर्मचारी को हटाना होगा ।

11 यदि कोई कर्मचारी छूट्टी पर / अनुपस्थित रहता है तो एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एक स्थानापन्न उपलब्ध करवाया जाएं । सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन स्टाफ को तदर्थ आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएं ।

12 एजेंसी के फायर स्टाफ को बैंक के सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया और अग्निशमन आदेशों के अनुसार अपनी ड्यूटी करनी होगी ।

13 फायरमैन और सुपरवाइजर को निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :

क. 10वीं तक उच्च विद्यालय या समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए।

ख. प्राथमिक चिकित्सा सहायता, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और अग्निशमन परिचालनों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर एक मान्यताप्राप्त संस्थान से बेसिक अग्निशमन पाठ्यक्रम पास किया हो ।

ग. सुपरवाइजर ने भी उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और इसी फील्ड में कम से कम दो वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए ।

14 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ से संबंधित किसी भी अग्निशमन उपकरण को किसी भी संपत्ति से बाहर ले जाने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे । किसी भी प्रकार की बेईमानी, मिलीभगत और / या गुप्त अभिप्राय की एक सुरक्षा या

सावधानी के तौर पर नामित अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर और ग्रेड के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षर के विषय में संविदाकार को इसमें हुए किसी प्रकार के परिवर्तन के साथ लिखित में सूचित किया जायेगा । सहायक महाप्रबंधक / प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा), भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे ।

15 यदि बैंक संज्ञान में यह आता है कि एक ही स्टाफ को दो लगातार ड्यूटी / शिफ्टों के लिए लगाया गया है तो बैंक तदनुसार भुगतान से कटौती करने का अधिकार रखता है ।

16 यह सुनिश्चित करना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए अग्निशमन स्टाफ शारीरिक और चिकित्सीय तौर फिट, चुस्त, स्वस्थ, स्मार्ट और अच्छे व्यक्तित्व के साथ बुद्धिमान, ईमानदार और सक्षम तथा किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी या अन्यथा से मुक्त हो । उनके अनुशासन का ध्यान रखना संविदाकार का उतरदायित्व होगा । इस प्रकार लगाए गए व्यक्तियों को अपने कार्य की उचित जानकारी होनी चाहिए । संविदाकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को उचित प्रकार से प्रशिक्षित उच्च गुणवत्ता और अच्छे व्यवहार का अग्निशमन स्टाफ होना चाहिए और वह प्राथमिक तौर पर 45 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में अग्निशमन स्टाफ के रूप में 18 वर्ष आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा।

17 क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ अथवा अन्य किन्हीं व्यक्तियों को क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा संविदाकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों के औचक निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना कार्य कर रहे हैं।

18 एजेंसी / फर्म का चंडीगढ़, मोहाली अथवा पंचकुला में एक कार्यालय / उप कार्यालय होना चाहिए।

19 एजेंसी इस प्रकार की बैंक में सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए अपने अग्निशमन स्टाफ के पूर्ण जोखिम कवरेज के लिए उतरदायी होगी ।

20 किसी भी स्टाफ की नियुक्ति से पहले उसके जीवनवृत्त को एजेंसी द्वारा किसी स्थानीय पुलिस प्राधिकारी से सत्यापन करवाना होगा और इस विषय मे बैंक को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21 एजेंसी एक उचित रजिस्टर बनायेगी जिसमें दैनिक आधार पर तैनात किए गए कर्मिकों की प्रविष्टि की जायेगी। इस पर बैंक बिल्डिंग के सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे और प्रत्येक

माह के बिल के साथ उपस्थिति शीट को भी प्रस्तुत किया जायेगा। एजेंसी को एक वचन-पत्र (निर्धारित फार्मेट में) देना होगा जिस पर बैंक के ऊपर वर्णित सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे जिसमें लागू नियमों और प्रचलित कानूनों के अनुसार मजदूरी के भुगतान का विवरण होगा

22 एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति बीमाकृत हो जिसके लिए बैंक द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। बैंक इस संविदा के भाग के तौर पर कार्य के निष्पादन के दौरान अग्निशमन स्टाफ को लगने वाली किसी चोट/ हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना या मृत्यु से होने वाली सभी देयताओं को एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

23 एजेंसी अपने स्वयं के खर्चे पर इस संबंध में अपने अग्निशमन स्टाफ के लिए एक विस्तृत बीमा (कोट किए गए वेतन के लिए कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी) करवाने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक प्रधान नियोक्ता के रूप में होगा। इसकी एक प्रति बैंक को प्रदान की जायेगी।

24 सभी आवश्यक रिपोर्टों (पेट्रोल रिपोर्ट इत्यादि) और अन्य सूचना जब कभी होगी एजेंसी द्वारा प्रदान की जायेगी।

25 एजेंसी को बैंक के साथ संवाद के लिए इस कार्यालय में संविदा का एक निश्चित नोडल पॉइन्ट नामित करेगा । एजेंसी को बैंक के साथ संविदा संबंधी मुद्दों, यदि कोई हो तो उसके निपटान के लिए सप्ताह में एक बार अपने प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ।

26 एजेंसी और इसका स्टाफ बैंक द्वारा उनको सौंपे गए उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में हानि, नुक्सान, व्यर्थ गंवाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित और व्यवहार्य सावधानी बरतेगा और वह जानबूझकर उनके द्वारा प्रबंध की जा रही संपत्तियों को किसी प्रकार से किसी व्यक्ति या कंपनी को नहीं देगा।

27 एजेंसी को बैंक द्वारा उसको सौंपे गए सभी उपकरणों और संपत्ति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

28 अग्निशमन स्टाफ या एजेंसी का कोई अन्य कर्मचारी किसी भी प्रकार का लाभ या पारितोषिक नहीं स्वीकार करेगा ।

29 एजेंसी के साथ अपने नियोजन करार की शर्तों के अधीन, अग्निशमन स्टाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारितोषिक के लिए या अन्यथा कोई व्यावसायिक या अन्य कार्य नहीं पूरा करेगा जब तक उसे बैंक के परिसर में कार्य के लिए नियुक्त किया गया है चाहे वह एजेंसी की ओर से हो या बैंक की तरफ से ।

30 एजेंसी की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही के परिणामस्वरूप बैंक को किसी प्रकार की हानि की स्थिति जिसे बैंक द्वारा की गई जांच के बाद स्थापित किया जाता है तो उक्त हानि का दावा हानि की राशि के मूल्य के बराबर एजेंसी के पास किया जा सकता है। इस विषय में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

31 एजेंसी को इसमें सूचीबद्ध सभी निदेशों और ऐसे निदेशों को जिन्हें बैंक द्वारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किया जाता है उनके अनुसार इस करार के अभिशासन, अधीक्षण और संचालन से संबंधित सभी अग्निशमन और सहायक सेवाओं, कार्यों और मामलों तथा वस्तुओं के संबंध में सभी का निष्पादन करेगा ।

32 एजेंसी केवल सहायक महाप्रबंधक, प्रभारी शिष्टाचार एवं सुरक्षा की सहमति के बाद ही बैंक के कार्यालय परिसर में नियुक्त अपने कर्मचारियों को हटा, पुनर्नियुक्ति या प्रबंधन कर सकता है। जबकि एजेंसी आपसी सहमति से निर्धारित संख्या को बनाए रखेगा, तथापि सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन स्टाफ को तदर्थ आधार पर नहीं परिवर्तित किया जायेगा।

33 एजेंसी द्वारा बैंक के परिसर में तैनात किए गए सभी कर्मिकों को बैंक द्वारा एजेंसी के साथ किए गए करार में वर्णित ड्यूटी का सभी समय पालन करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में कार्य-पद्धित दंड खंड में वर्णित दंड (दंडों) लगाया जायेगा । इस आधार पर लगाए गए दंड की एजेंसी के बिल से कटौती की जायेगी।

34 नियुक्त किए गए कर्मचारी खुशनुमा आचरण के साथ बैंक के स्टाफ / अतिथियों के साथ व्यवहार करते समय विनम्र रहना चाहिए और उसे एक अत्यंत अनुशासित व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करनी होगी।

35 एजेंसी द्वारा अग्निशमन स्टाफ के रूप में नियुक्त स्टाफ को उचित प्रकार से स्वच्छ और स्मार्ट रूप से ड्रेस होना चाहिए और ड्यूटी पर रहते समय अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा । उनकी वर्दी इस्त्री की हुई और जूते काले और पॉलिश किए हुए होने चाहिए।

36 संविदाकार को उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को हालिया फोटोग्राफ के साथ विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, आवासीय पता, आयु इत्यादि को प्रस्तुत करना होगा । संविदाकार द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की उचित प्रकार से पहचान करने के लिए उसे उनके फोटोग्राफ / पहचान इत्यादि के साथ पहचान पत्र जारी करने चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के दौरान अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।

37 भुगतान एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मिकों की वास्तविक शिफ्ट ड्यूटी / परिचालन के आधार पर प्रत्येक माह के अंत में और बैंक के प्रतिनिधियों और एजेंसी /अपने प्रतिनिधियों/ प्राधिकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा। किसी भी आधार पर किए गए किसी भी अन्य दावे पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

38 किसी भी स्थिति में यदि एजेंसी द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं तो बैंक द्वारा कार्यशील दंड खड में वर्णित दंड के अनुसार शुल्क लगाया जायेगा और इसकी एजेंसी के बिलों से कटौती की जायेगी। एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी बैंक द्वारा एजेंसी को जारी किया जायेगा क्योंकि इसे बैंक की संपत्ति को अत्यन्त 'उच्चतर जोखिम' स्तर पर एक्सपोज करना माना जायेगा।

39 यदि इस संविदा के अंतर्गत नियुक्त किए गए एजेंसी के कर्मचारी अनुपस्थित रहते है तो एजेंसी द्वारा इसके लिए समय पर स्थानापन्न उपलब्ध करवायेगी है । इसे अनुपस्थिति माना जायेगा और कार्यशील दंड खंड में वर्णित दंड लगाया जायेगा ।

40 यदि कोई प्राप्त हुई शिकायत एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी के कदाचार / दुर्व्यवहार से संबंधित है तो कार्यशील दंड खंड में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जायेगा और इसकी कटौती एजेंसी के बिल से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित व्यक्ति को बैंक के कहने पर कार्य से हटाना होगा । इसके लिए बैंक द्वारा एजेंसी को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी जारी किया जायेगा।

41 एजेंसी के कर्मचारी के किसी कृत्य के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी मामलें (उपभोक्ता न्यायालयों में दाखिल मामलों सहित) से उत्पन्न देयताओ को सभी खर्चों / शूल्कों सहित सीधे एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

42 यदि श्रम कानूनों या विनियमों के अंतर्गत श्रम प्राधिकारियों या दावे या आवेदन में दिए गए किसी भी अनुदेशों के पालन के परिणामस्वरूप होने दंड का भुगतान बैंक के निदेश पर किया जाता है तो ऐसी राशि को एजेंसी द्वारा भुगतान किया हुआ माना जायेगा । बैंक संविदाकार को देयर राशि या निष्पादन प्रतिभूति से कटौती करने के माध्यम से एजेंसी से राशि की वसूली करने का पात्र होगा ।

43 एजेंसी किसी भी उप संविदा को प्रतिनियुक्त नहीं करेगा या संविदा को किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा ।

44 एजेंसी को निम्न मदों पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय को वहन करना होगा अर्थात् अग्निशमन स्टाफ को अनुपूरकों, दैनिक ड्यूटी चार्ट लिखने के लिए स्टेशनरी, अग्नि सुरक्षा पॉइंटों के लिए रजिस्टर और आवश्यकता के अनुसार रिकार्ड रखना ।

45 संविदाकार को अपनी स्वयं की लागत पर कार्य के लिए सभी पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दो जोड़े वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, फायर हैमलेट, चमड़े के जूते, चुराबें, लेनयार्ड सीटी, सर्दी के लिए जर्सी, बरसात के लिए रेनकोट/छतरी, बैटरी सहित टोर्च और बैटन प्रदान करने होंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ को इसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई देयता नहीं होगी।

46 एजेंसी समय पर उनके बीच प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए सुपरवाइजर को एक मोबाइल प्रदान करना होगा ।

47 एजेंसी को संविदा की अवधि के दौरान या अन्यथा बाद में कभी भी संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के रिकार्ड की आवश्यकता बैंक को होगी तो उक्त रिकार्डों की प्रतियां प्रदान करनी होगी।

48 एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक में तैनात किए गए सभी अग्निशमन स्टाफ के पास एक बैंक बचत खाता (एसबी खाता) हो और एजेंसी द्वारा वेतन का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा उक्त बचत खाते में क्रेडिट के माध्यम से किया जायेगा और वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आरबीआई, चंडीगढ़ से बिल पास होने का इंतजार किए बिना करना होगा ।

49 संविदाकार /एजेंसी को "**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम 2013,**" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करना होगा यदि बैंक के परिसर में उसके किसी

कर्मचारी के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होती है तो बैंक ऐसी कार्रवाई करेगा जो उसे उचित लगती है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया प्रारंभ करना और संविदा / करार की समाप्ति भी शामिल है। बैंक के किसी कर्मचारी के विरूद्ध संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी की यौन उत्पीड़न की शिकायत को बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा। संविदाकार किसी भी प्रकार की मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि किसी घटना में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें संविदाकार को कर्मचारी शामिल था, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को मौद्रिक राहत यदि संविदाकार के कर्मचारी के विरूद्ध यौन हिंसा का मामला साबित हो जाता है।संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्य स्थल पर यौन हिंसा के रोकथाम और अन्य संबंधित विषयों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

50 श्रम अधिनियमों या किसी अन्य सांविधिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए केवल संविदाकार ही उत्तरदायी होगा और वह उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर होने वाले व्ययों या भूल-चूक के सभी कृत्यों, चूक, उल्लंघन और / अथवा किसी दावे, मांग, हानि, चोट के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ को क्षतिपूरित रखेगा । संविदाकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी प्रतिबद्धता, और या उक्त अधिनियमों के अधीन या नियमों / विनियमों और / या किसी उप नियमों या नियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में संविदाकार के असफल रहने पर भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ इनके लिए किसी हानि या ऐसे व्ययों की वसूली करने का पात्र होगा जो इस प्रकार के दावे, मांग, हानि अथवा चोट पर होने व्यय के कारण हो सकती है, यदि कोई है तो संविदाकार के मासिक भुगतान और प्रतिभूति जमा से कटौती कर सकेगा ।

51 एजेंसी को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का पालन करना होगा और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

52 एजेंसी को फैक्टरी अधिनियम 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी देयता अधिनियम 1938, बाल रोजगार अधिनियम 1938, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस का भुगतान अधिनियम 1965, उपदान का भुगतान अधिनियम 1972, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और नियमों जहां किसी अन्य कानूनों के अंतर्गत और नियम जो समय-समय पर संविदा कामगारों के लिए लागू हो, का पालन करना होगा । एजेंसी को रजिस्टरों और रिकार्ड को प्रस्तुत करेगी और बैंक द्वारा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जारी अनुदेशों का निदेशों का पालन करेगी ।

53 कार्यशील दंड : जैसा कि अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

54 <u>विवाचन</u>:

क) जब तक कि संविदा में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, इस संविदा के कार्य के विषय-क्षेत्र, यहां पूर्व वर्णित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित सभी प्रश्नों और विवादों और सेवा की गुणवत्ता या अन्य कोई प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या वस्तु जो इस संविदा, कार्य के विषय-क्षेत्र, निबंधन एवं शर्तों, अनुदेशों, कार्यों से संबंधित आदेशों, या अन्यथा से या संबंध में उत्पन्न होती है अथवा इसके निष्पादन या इसको निष्पादित करने में असफल रहने से, चाहे वह संविदा की प्रगति के दौरान हो या संविदा की समाप्ति के बाद, उसे क्षेत्रीय निदेशक, चंडीगढ के एकल विवाचन के लिए संदर्भित किया जायेगा या क्षेत्रीय निदेशक, चंडीगढ़ द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल विवाचन के लिए संदर्भित किया जायेगा जो ऐसे विवाचक के रुप में कार्य करने का इच्छुक है। विवाचन के लिए संदर्भित किया गया मामला उस मामले से इत्तर होना चाहिए जिसके विषय में महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक (मासंप्रवि) के निर्णय को संविदा में अंतिम और निष्कर्षी बताया गया है। इस विषय में कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस प्रकार नियुक्त विवाचक आरबीआई का कोई कर्मचारी हो और यह कि उसे उन मामलों के संबंध में कार्य करना पड़ता है जो संविदा से संबंधित है और यह कि वह अपने ड्यूटी के निष्पादन के दौरान उसने विवाद या मतांतर से संबंधित किसी या सभी मामलों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए है। उस विवाचक जिसे मूल रूप से उक्त मामला संदर्भित किया गया था वह स्थानांतरित होकर अपना कार्यालय खाली कर देता है या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है या ऐसा क्षेत्रीय निदेशक, चंडीगढ़ ऊपर बताए अनुसार ऐसे स्थानांतरण पर कार्यालय खाली करने या कार्य करने में असमर्थ होने पर वह संविदा की शर्तों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए स्तर से आगे बढ़ने का पात्र होगा।

ख) विषय ऊपर बताए अनुसार इस खंड के अंतर्गत विवाचन की प्रक्रिया के संबंध में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 अथवा किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्अधिनियमन और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कार्य किया जायेगा।

ग) यह संविदा की एक शर्ते है कि विवाचन में शामिल पक्षों को इस खंड के अंतर्गत विवाचन के लिए संदर्भित होने वाले विवादों या मतांतरों को ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ स्पष्ट रूप से बताना होगा

घ) विवाचक (कों) समय-समय पर पक्षों की अनुमति के साथ पंचाट देने या प्रकाशित करने के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है

ड़) इस संविदा के अंतर्गत यदि व्यवहार्य रूप से संभव हो तो जारी विवाचन प्रक्रियाओं के दौरान और एजेंसी को देय किसी भुगतान को ऐसी प्रक्रियाओं के आधार पर रोका नहीं जायेगा।

च) विवाचक को उस तारीख से संदर्भ में शामिल माना जायेगा जिस तारीख को वह पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के लिए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है।

छ) विवाचक उसको संदर्भित प्रत्येक विवाद या मतांतर के संबंध में एक अलग निर्णय सुनायेगा।

ज) विवाचन का स्थान एक ऐसी जगह होगा जो विवाचक द्वारा केवल उसके विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा

झ) विवाचक का निर्णय अंतिम, निष्कर्षी और इस संविदा के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा । एजेंसी और आरबीआई के बीच कोई अनसुलझा मामला रहता है तो यह जिला न्यायालय, चंडीगढ़ और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के अधिकार-क्षेत्र में आयेगा

55. **न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र**: यह करार जिला न्यायालयों, चंडीगढ़ और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के अधिकार-क्षेत्र में आयेगा।

56 <u>संविदा की अवधि</u> :

यदि यह संविदा प्रदान की जाती है तो प्रारंभ में **बारह महीने अर्थात् 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022** के लिए वैध होगी।

बैंक दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से समान शर्तों पर संविदा की अवधि को दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) आगे बढा सकता है और यह बैंक द्वारा आकलित की गई सुरक्षा एजेंसी की संतोषजनक निष्पादन के अधीन होगा।

दोनों पक्षों को तीन स्पष्ट कैलेंडर महीने का लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त करने स्वतंत्रता होगी।

57. **<u>जोखिम खंड</u>**

किसी अन्य खंड में निहित अन्य बातों के होते हुए भी आरबीआई इस संविदा के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में एजेंसी के असफल रहने या दिवालिया होने या परिनिर्धारण की प्रक्रिया में जाने की स्थिति में इस संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एजेंसी की ओर से अपने भाग को पूरा नहीं करने मे असफल रहने के संबंध मे आरबीआई का निर्णय अंतिम और एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार की समाप्ति 10 दिनों की सूचना देकर की जा सकती है।

एजेंसी की ओर से किसी प्रकार की असफलता की स्थिति में आरबीआई के पास बिना किसी पूर्वाग्रह के एजेंसी की लागत और जोखिम पर कार्य को किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी से करवाने का अधिकार सुरक्षित होगा । यदि आरबीआई को इसके लिएअतिरिक्त लागत या हानि का सामना करना पडता है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जायेगी।

58 एजेंसी को भुगतान

कोट किए गए प्रभारों में तैनात किए गए कर्मिकों की सेवाओं की लागत शामिल होगी जिसका भुगतान मासिक आधार पर बिलों की प्रस्तुति और सहायक दस्तावेजों के अधीन होगा । उसका भुगतान बैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत यह सत्यापित करने के बाद होगा कि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक थी और यह सभी सांविधिक देयों या करों इत्यादि की कटौती की जायेगी। भुगतान संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मिकों द्वारा की गई वास्तविक शिफ्टों / परिचालन के लिए तथा शिष्टाचार एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उपस्थिति शीट और अन्य समर्थित दस्तावेजों के आधार प्रति माह किया जायेगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए हाउसकीपिंग स्टाफ को समय पर अपना वेतन प्राप्त हो। इसको देखते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। बिलों के साथ आरबीआई, चंडीगढ़ में तैनात किए गए संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों भी प्रस्तुत किये जायेंगे :

क. वर्तमान माह के बिल की प्रति ।

ख. वर्तमान माह उपस्थिति रजिस्टर ।

ग. पिछले माह के वेतन भुगतान का रेकॉर्ड (बैंक खाता पत्रक). नकद भुगतान किसी भी परिस्थिति में न किया जाए ।

घ. मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित पिछले माह की वेतन पर्ची ।

ङ. समेकित एवं ब्रेक अप विवरण के साथ पिछले माह का ईएसआई चालान ।

च. समेकित एवं ब्रेक अप विवरण के साथ पिछले माह का ईपीएफ पारेषण चालान (यदि लागू हो तो)

छ. संविदागत मजदूरों को किए गए किसी अन्य भुगतान (बोनस इत्यादि) का साक्ष्य ।

ज. वेंडर को यह घोषित करते हुए एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि ठेका श्रम नियोजन के संबंध में वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) और भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए लागू सभी नियमों, ईपीएफओ, ईएसआईसी (यदि लागू हो), बोनस और

भारत सरकार द्वारा जारी अन्य सभी अधिनियमों / नियमों में निर्धारित फार्मों का पालन कर रहे हैं।

झ. श्रम आयुक्त, श्रम सुविधा पोर्टल, ईपीएफओ एवं एसआईसी को प्रस्तुत किए गए आवधिक विवरणों को प्रस्तुत करने के 07 दिनों के अंदर (जब कभी प्रस्तुत किए जाते है)

59 बिलों में करों और जीएसटी यदि लागू हो, संबंधित माह के बिल के संबंध में आवश्यक रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ होने चाहिए। बिल का एक आवश्यक भाग / बिल की पूरी राशि को बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार ऐसे साक्ष्यों के प्रस्तुत करने तक रोक कर रखा जायेगा।

एजेंसी को प्रत्येक माह की समाप्ति पर बिल प्रस्तुत करना होगा और सभी दस्तावेजों के साथ पूर्ण और सही बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) का प्रयोग करता है । बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने से पहले एजेंसी यह सुनिश्चित कर लें कि बिल की अवधि के दौरान एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। कैसी भी परिस्थिति में एजेंसी संविदा की शर्तों में निर्धारित प्रभार से अधिक कोई भी दावा करने का पात्र नहीं होगी।

इन सांविधिक दरों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, वीडीए, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जीएसटी इत्यादि में भविष्य में होने वाली वृद्धि या कमी दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा और उसका भुगतान बैंक द्वारा तदनुसार किया जायेगा। दरों में परिवर्तन, यदि वांछित है तो उस पर संविदा के नवीनीकरण के समय पर विचार किया जायेगा, यदि नवीनीकरण किया जाता है।

60. **लेखा परीक्षा**

यदि भुगतान उपरांत की गई लेखा-परीक्षा के परिणामस्वरूप इस निविदा के अंतर्गत एजेंसी द्वारा किए गए या एजेंसी द्वारा संभावित रूप से किए गए कार्य के संबंध में किसी प्रकार के अधिक भुगतान का पता चलता है तो बैंक द्वारा उसकी एजेंसी से वसूली की जायेगी।

यदि किसी कम भुगतान का पता चलता है तो बैंक द्वारा उस राशि का एजेंसी को विधिवत भुगतान किया जायेगा।

61 आउटसोर्सिंग

प्रत्येक बोलीकर्ता को अपनी बोली के साथ यह पुष्टि और घोषणा करनी होगी कि वह इस संविदा के अंतर्गत सेवाओं या किसी अन्य मद या कार्य आदेश से संबंधित अन्य कार्य करने के लिए किसी एजेंट, दलाल या अन्य मध्यवर्ती को नियुक्त नहीं करेगा। यदि बाद में किसी समय बैंक इसके विपरीत पाता है तो बैंक तत्काल संविदा को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

आरबीआई पक्षों कि क्षमता और सामर्थ्य का आकलन करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी स्तर पर किसी/सभी आवेदनों या उसके किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक न्यूनतम वित्तीय आवेदन को स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

62 गैर-प्रकटीकरण

एजेंसी या इसका स्टाफ बैंक से संबधित उस सूचना को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग, प्रकट या घोषित, प्रकाशित नहीं करेगा जिसे व्यवहार्य रूप से निजी अथवा बैंक की संपत्ति माना जाता है, जिसको जारी करने से बैंक को किसी प्रकार का व्यवहार्य रूप से नुकसान होना अपेक्षित है, जिसको एजेंसी और / उसके स्टाफ ने प्राप्त किया जा है उसके अलावा जिसके लिए बैंक द्वारा अधिकृत किया गया था या किसी कानून के अंतर्गत आवश्यक है। एजेंसी और उसके स्टाफ पर यह प्रतिबद्धता करार की अवधि के दौरान और इस करार की अवधि के बाद भी अनिश्चितकाल के लिए लागू रहेगी । एजेंसी और उसका स्टाफ अनुलग्नक I से XIII तक की किसी सूचना और बैंक की अवसंरचना या प्रणालियों या उपकरणों इत्यादि से संबंधित सूचना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा जो इस करार के संबंध में अपनी संविदागत प्रतिबद्धताओं को निष्पादित करते समय उसके संज्ञान में आती है या पता चलती है और सभी समय इसकी सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा। वह लागू कानूनों के अनुपालन या उनके अंतर्गत मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त इस संविदा से संबंधित विवरण को गोपनीय और निजी रखेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी ट्रेड या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। उसे किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकट होने से बैंक को होने वाले किसी भी हानि से क्षतिपूरित करना होगा। उपरोक्त का पालन करने में असफल रहने पर इसे संविदा का उल्लंघन माना जायेगा और बैंक किसी हर्जाने के दावा और कानूनी उपाय का सहारा लेने का अधिकार रखता है।

अनुबंध-IV

<u>दंड निर्धारण खंड</u>

भुगतान रोकनाः बैंक उस सीमा तक संविदाकार के भुगतान को रोक सकता है जब युक्तिपूर्वक यह माना लिया जाए कि एजेंसी ने इस करार के अनुसार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। यदि उल्लंघन ऐसा है कि उसे सुधारा जा सकता है तो एजेंसी को कमी सुधारने के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाता है। एक बार सेवा प्रदाता ने कमी को ठीक कर दिया तो बैंक इस कारण से रोकी गई राशि को वापस कर देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार रोक कर रखी गई राशि कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगी।

भुगतान से कटौतीः बैंक एजेंसी की लापरवाही से उत्पन्न बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उठाए गए ('प्रत्यक्ष हानि') उल्लिखित सेवा स्तर करार (एसएलए) के अनुसार जुर्माने के दावों, लागत या दावों, हानि, क्षति, एजेंसी द्वारा पूरी की गई दोषपूर्ण सेवाओं आदि के कारण राशि को एजेंसी के बिल से काट सकता है। यदि एजेंसी उल्लेखानुसार उल्लंघन के सुधार में विफल हो जाता है तो बैंक के पास बिना किसी नोटिस के एजेंसी के बिल से इस तरह की राशि की कटौती करने का विवेकाधिकार है और यह अधिकार इस करार के तहत बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है।

परिचालन दंड निर्धारणः परिचालन आवश्यकताओं तक सीमित दंड निर्धारण को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया हैः

क्र. सं.	सेवा स्तर करार (एसएलए)	विफलता संबंधी छूट का स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
	सामान्य			
1	फायर कंसोल कक्ष में फायर अलार्म पर ध्यान देने में विफलता	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
2	स्टाफ ड्यूटी/पोस्ट से अनुपस्थित नहीं होंगे।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक

3	सुरक्षा प्रबंधक को तुरंत घटनाओं को सूचित करने में विफलता	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
4	स्टाफ ड्यूटी पर नहीं सोएगा। उसे हर समय सतर्क रहना होगा।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
5	किसी कर्मचारी/आगंतुक आदि के साथ स्टाफ पर्यवेक्षक /फायरमैन द्वारा दुर्व्यवहार।	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक
6	शिफ्ट परिवर्तन के दौरान ड्यूटी को सौंपने और ग्रहण करने में अधिकारी/पर्यवेक्षक की विफलता और एसओपी के पालन में विफलता	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक
7	बैंक की संपत्ति /उपकरण का दुरुपयोग	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक
8	एजेंसी द्वारा बैंक से अनुमोदित कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।	एक माह में सभी स्टाफ को कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र- (शून्य)	निम्न	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक
9	प्रत्येक शिफ्ट में दो घंटे गश्त लगाना	दिन/रात के दौरान दो घंटों में कम से कम 1 बार गश्त	निम्न	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक

		लगाना- (शून्य)		
10	टीम कार्य-निष्पादन और अनुशासन को हर समय बनाए रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए डे पर्यवेक्षक/शिफ्ट प्रभारी	शून्य	निम्न	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक
11	स्मार्ट पहनावा, हर समय आईडी कार्ड के साथ उचित वर्दी	शून्य	निम्न	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक

प्रति माह जुर्माना

एस एल ए	उच्च जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं
	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं
	निम्न जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं

कार्यान्वयन: उपर्युक्त एसएलए की निगरानी और जुर्माना यदि कोई हो की कार्यवाही शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा की जाएगी।

दंड निर्धारण (सांविधिक अनुपालन): सांविधिक अनुपालन तक सीमित दंड निर्धारण को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया हैः

क्र.सं	सांविधिक आवश्यकताएं	विफलता संबंधी छूट का स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
1.	प्रति दिन अधिकतम 8 घंटों की सेवा के विषय में सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करेगा।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
2.	एक दिन में 8 घंटे से अधिक कर्मचारी को परिनियोजित करना।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
3.	प्रत्येक शिफ्ट में 100% अग्निशमन स्टाफ को परिनियोजित करने में विफलता	दैनिक शिफ्ट के आधार पर 98% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए- (शून्य)	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
4.	लागू कानूनों का पालन करने में विफलता	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक
5.	साप्ताहिक छुट्टी दिए बिना स्टाफ/कर्मचारियों का परिनियोजन करना	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
6.	उपस्थिति रजिस्टर इस तरह से बनाए रखा जाएगा कि स्टाफ की दैनिक ट्रैक संभव हो सके।	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
7.	एक-एक रजिस्टर अर्थात मजदूरी/छुट्टी/साप्ताहिक बंद/उपस्थिति रखते हुए सांविधिक आवश्यकता वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक

8.	विक्रेता अनुपालन लेखापरीक्षा में सहभागिता	शून्य	उच्च	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक
9.	सांविधिक आवश्यकता वाले दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाने हैं अर्थात-पीएफ/ईएसआई	प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक
10.	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान करने में विफलता	प्रत्येक माह 10 तारीख को या उससे पहले	मध्यम	बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक

प्रति माह जुर्माना

एस एल ए	उच्च जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं
	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं
	निम्न जोखिम	मासिक बिल मूल्य के न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं

कार्यान्वयन: उपर्युक्त एसएलए की निगरानी और जुर्माना यदि कोई हो की कार्यवाही शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा की जाएगी।

अनुभाग VI

मानक प्रारूप

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय, विधिवत् हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) को अवश्य अपलोड करें।

अनुबंध -V

निविदाकार के पत्रशीर्ष पर दिया जाने वाला वचन-पत्र

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

चंडीगढ़ 160017

भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में अग्निशमन स्टाफ प्रदान करने के लिए सेवा संविदा हेतु ई-निविदा

उपरोक्त के जवाब में और भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के साथ पूर्ण सहमति में:

क) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैंने/हमने सामान्य रूप में तकनीकी और वित्तीय बोलियों दोनों निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित निविदा के सभी निबंधनों और शर्तों को और विशेष रूप से निविदा की अनुसूची (अनुभाग-I), ई-निविदा के बारे में निर्देश (अनुभाग-II), बोलीदाता के लिए सामान्य निर्देश (अनुभाग-III) अग्निशमन स्टाफ की आवश्यकता (अनुबंध-I), कार्य का विषय-क्षेत्र (अनुबंध-II), संविदा के निबंधनों और शर्तों (अनुबंध- III), दंड निर्धारण खंड (अनुबंध- IV) तथा अनुभाग- VII (वित्तीय बोली) को पढ़ और पूर्णतः समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

ख) मैंने/हमने अनुबंध-IX में वर्णित बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया को, अनुभाग III/IV में उल्लिखित शर्तों और निविदा दस्तावेज़ के

मूल्यांकन मैट्रिक्स को समझ लिया है। मैं/ हम यह भी समझते हैं कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के पास मेरी/हमारी निविदा बोली को कोई भी कारण बताए बिना स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।

ग) मैं/हम समझते हैं कि न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान समय-समय पर केंद्र सरकार/संबंधित अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार करना होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि विभिन्न विधानों के तहत निर्धारित ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी, राहत प्रभार, वर्दी आदि जैसे सभी सांविधिक भुगतान भी मेरे/ हमारे द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। मैं/हम सेवा शुरू करने में लागू विभिन्न अधिनियमों में समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी सांविधिक और बाध्यकर आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

क) मैं/हम इस कार्य को करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि/ कर्मचारी राज्य बीमा, जीएसटी, श्रम विभाग इत्यादि के संबंध में तदनुरूपी सरकारी प्राधिकारियों के साथ सांविधिक पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस संबंध में प्रस्तुत/अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वास्तविक और वैध हैं।

घ) मैंने/हमने अग्निशमन स्टाफ की तैनाती के स्थान का दौरा किया है और आवश्यकताओं से खुद को पूरी तरह से अवगत कराया है। यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम बैंक की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हुए 15 दिनों के भीतर या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि को अग्निशमन स्टाफ तैनात करने के लिए सहमत हैं।

ङ) ₹**72**,000/- (बहत्तर हजार रूपए मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) लाभार्थी के नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ आईएफएससी : RBIS0CGPA01, खाता संख्या .: 186003001 पर ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाती है।

च) संविदा का अवार्ड प्राप्त होने पर, मैं/हम ₹1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) की प्रतिभूति जमा के बदले में, अनुबंध-XII के अनुसार, एक कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे, जो उक्त अनुबंध में उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगी।

छ) मैं/हम यह भी समझते हैं कि करार के अनुसार कार्य को विधिवत् निष्पादित करने में मेरी/हमारी ओर से विफलता की स्थिति में या निबंधनों और शर्तों के

मेरे/हमारे कारण उल्लंघन के मामले में बैंक गारंटी (अनुबंध-XIII) का उपयोग, प्रतिभूति जमा के बदले में, किया जाएगा।

भवदीय,

दिनांक :   प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और सील के साथ)

अनुबंध-VI

<u>एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए जांच-सूची</u>

ई-निविदा प्रस्तुत करते समय मूल दस्तावेजों की स्कैन प्रति (प्रत्येक फाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए) पीडीएफ फॉर्मेट में एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की जानी है:

क्र. सं.	जांच-सूची	संदर्भ	मानक प्रारूप, यदि कोई हो
1.	बयाना जमा रु.72,000/- (बहत्तर हजार रुपए मात्र) की एनईएफटी) (जमा पर्ची/ एनईएफटी प्रमाण आदि की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें)	अनुभाग III का पैरा 9	--
2.	भाग लेने वाली एजेंसी की मूलभूत जानकारी	--	अनुबंध-VII
3.	कंपनियों/फर्मों के लिए, जैसा लागू हो, इनकॉर्पोरेशन/ एमओए और एओए/भागीदारी विलेखों के वैध प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति	अनुभाग III का पैरा 3 और अनुबंध-VII का पैरा 2 और अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 3 और 5	--
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता/संपर्क/ई-मेल	अनुभाग III का पैरा 3 और अनुबंध-VII के समर्थन में	--
5.	स्थानीय कार्यालय का पता/संपर्क/ई-मेल	अनुभाग III का पैरा 3.3, 3.7 और अनुबंध-VII के समर्थन में	--
6.	कंपनी के स्वामी/भागीदार/ निदेशक का नाम और पता	अनुबंध-VII के समर्थन में	--
7.	निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर, कंपनी/फर्म की सील के साथ, पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकृति	अनुभाग III का पैरा 3	--
8.	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति	अनुबंध-VII के समर्थन में	--

9.	वित्त वर्ष 2019-20 तक पिछले 3 वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणियों की स्व-सत्यापित प्रति	अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 1	--
10.	जीएसटी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।	अनुबंध-VII के समर्थन में	--
11.	ईपीएफओ पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।	अनुभाग III का पैरा 3.6 और अनुबंध-VII के समर्थन में	--
12.	ईएसआईसी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।	अनुभाग III का पैरा 3.6 और अनुबंध-VII के समर्थन में	--
13.	सांविधिक प्राधिकारियों से श्रम पंजीकरण	अनुभाग III का पैरा 3.7 और अनुबंध-VII के समर्थन में	--
14.	अन्य ग्राहकों के लिए श्रम लाइसेन्स, यदि लागू हो	अनुभाग III का पैरा 3.1 और 3.2	--
15.	क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चंडीगढ़ के प्रति वचन-पत्र	--	अनुबंध -V
16.	पिछले तीन वर्षों का अग्नि संरक्षा सेवा से सीए संपरीक्षित टर्नओवर और शुद्ध लाभ (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद)	अनुबंध-XII के समर्थन में	अनुबंध -XII (तालिका-I)
17.	संपरीक्षित तुलन-पत्र (आस्ति-देयता विवरण और लाभ और हानि विवरण केवल) (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद)	अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 1 और 2	--
18.	समान कार्यों के पिछले अनुभव का विवरण	अनुभाग III का पैरा 3.1 और 3.2	अनुबंध -XII
19.	न्यूनतम पात्रता प्रमाणित करने के लिए ग्राहकों से कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र	अनुभाग III का पैरा 3.2 और अनुबंध -XII	अनुबंध -X
20.	मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार स्कोरिंग के लिए कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र	अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 7 और अनुबंध -XII	अनुबंध -X

21.	आईएसओ 9001 / एसए8000 / ओएचएसएएस 18001, कोई अन्य लागू-में से कोई एक या अधिक प्रमाणपत्र	अनुभाग III का पैरा 3.5 और अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 4	--
22.	नवंबर या दिसंबर 2020 का भुगतान किया गया ईपीएफ/ईएसआई चालान (केवल कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला पृष्ठ)	अनुभाग IV के मूल्यांकन मैट्रिक्स का पैरा 6 और अनुबंध -VII का पैरा 12	--
23.	पढ़ना और समझना - मूल्यांकन मैट्रिक्स	अनुभाग IV का मूल्यांकन मैट्रिक्स	--
24.	बैंकर का विवरण	अनुभाग III का पैरा 3.8	अनुबंध -VIII
25.	₹36 लाख या उससे अधिक की राशि के विशेष रूप से इस कार्य के लिए निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा जारी किया गया बैंकर प्रमाणपत्र (विश्वसनीयता का प्रमाणपत्र)	अनुभाग III का पैरा 3.8	अनुबंध-XI
26.	मुकदमेबाजी/दीवानी मुकदमों/विवादों, यदि कोई हो, जहां एजेंसी शामिल रही हो, की स्व-सत्यापित प्रतियाँ ।	अनुबंध-VII का पैरा 13, 14 और 15	--
27.	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची	--	अनुबंध -VI
28.	लिखित फाइल नामों के साथ आरबीआई में तकनीकी मूल्यांकन की जांच-सूची	--	अनुबंध -IX
29.	कोई भी अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो	--	--

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय, विधिवत् भरी गई स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) को अवश्य अपलोड करें।

अनुबंध-VII

निविदाकर्ता कंपनी/फर्म की मूलभूत जानकारी
(निविदाकर्ता के पत्रशीर्ष पर दी जानी है)

क्र. सं.	कंपनी/एजेंसी/फर्म का विवरण	कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम	
2.	पंजीकरण (फर्म/कंपनी), पंजीकरण प्राधिकरण, दिनांक, संख्या आदि	
3.	कंपनी का प्रकार कि स्वामित्व, भागीदारी आदि क्या है (क्रमशः कंपनियों और फर्मों के मामले में ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम और भागीदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि की प्रति)	
4.	कंपनी के स्वामी/भागीदारों/ निदेशकों का नाम और पता	
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर तथा ईमेल पता	
6.	स्थानीय कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता (उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से कार्य को संभाला जाएगा)	
7.	पैन नंबर	
8.	जीएसटी पंजीकरण संख्या	
9.	ईपीएफओ पंजीकरण संख्या	
10.	ईएससीआई पंजीकरण संख्या	
11.	श्रम पंजीकरण संख्या	

12.	31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, नामावली में संगठन जनशक्ति की भूमिका में लगाया गया /उपलब्ध कुल स्टाफ	
13.	पिछले 3 वर्षों से किसी भी मुकदमे में शामिल होने पर सूचित करें।	
14.	निष्पादित किए गए किसी भी आदेश में लंबित कोई भी दीवानी मुकदमा, विवरण दें।	
15.	कोई भी विवाद (सांविधिक प्राधिकारियों सहित) जो लंबित हैं और कार्यवाही के चरण का विवरण	
16.	यदि काम पर लगाया जाता है, तो सेवा देने के लिए अपेक्षित समय (होना चाहिए =< 15 दिन)	

दिनांक : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और सील के साथ)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय, विधिवत् भरी गई स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) को अवश्य अपलोड करें।

अनुबंध -VIII

बैंकर का विवरण

(निविदाकर्ता के पत्रशीर्ष पर दिया जाना है)

विवरण	बैंकर
खाता संख्या और खाते का प्रकार	
बैंक का नाम, शाखा, आईएफएस कोड और उसका पूरा डाक पता	
संपर्क व्यक्ति का नाम और जॉब- टाइटल उसके टेलीफोन नं और फैक्स न. आदि के साथ	
क्या एजेंसी द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है	
वह अवधि जिससे एजेंसी बैंकर के साथ बैंकिंग कर रही है।	
कोई अन्य जानकारी जो वेंडर अपने बैंकरों के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हो	

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और सील के साथ)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय, विधिवत् भरी गई स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) को अवश्य अपलोड करें।

अनुबंध-IX

बैंक में तकनीकी मूल्यांकन के लिए जांच-सूची

क्र. सं.	जांच-सूची	संदर्भ	मानक प्रारूप, यदि कोई हो	क्र. सं.
1.	बयाना जमा रु. 72,000/- (बहत्तर हजार रुपए मात्र) की एनईएफटी) (जमा पर्ची/ एनईएफटी प्रमाण आदि की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें)			
2.	भाग लेने वाली एजेंसी की मूलभूत जानकारी			
3.	कंपनियों/फर्मों के लिए, जैसा लागू हो, वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र/ एमओए/भागीदारी विलेखों की स्व-सत्यापित प्रति			
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता/संपर्क/ई-मेल			
5.	स्थानीय कार्यालय का पता/संपर्क/ई-मेल			
6.	कंपनी के स्वामी/भागीदार/ निदेशक का नाम और पता			
7.	निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर, कंपनी/फर्म की सील के साथ, पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकृति			
8.	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति			

9.	वित्त वर्ष 2019-20 तक पिछले 3 वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणियों की स्व-सत्यापित प्रति			
10.	जीएसटी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।			
11.	ईपीएफओ पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।			
12.	ईएसआईसी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति।			
13.	सांविधिक प्राधिकारियों से श्रम पंजीकरण			
14.	अन्य ग्राहकों के लिए श्रम लाइसेन्स, यदि लागू हो			
15.	क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, चंडीगढ़ के प्रति वचन-पत्र			
16.	पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्नि संरक्षा सेवा से सीए संपरीक्षित टर्नओवर और शुद्ध लाभ (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद)			
17.	पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित तुलन-पत्र (आस्ति-देयता विवरण और लाभ और हानि विवरण केवल) (वित्त वर्ष 2017-18 के बाद)			
18.	समान कार्यों के पिछले अनुभव का विवरण			
19.	न्यूनतम पात्रता प्रमाणित करने के लिए ग्राहकों से कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र			

20.	मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार स्कोरिंग के लिए ग्राहकों से कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र			
21.	आईएसओ 9001 / एसए8000 / ओएचएसएएस 18001/ आईएसओ45001 के लिए कोई एक प्रमाणपत्र			
22.	नवंबर या दिसंबर 2020 का भुगतान किया गया ईपीएफ/ईएसआई चालान (केवल कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला पृष्ठ)			
23.	पढ़ना और समझना - मूल्यांकन मैट्रिक्स			
24.	बैंकर का विवरण			
25.	₹36 लाख या उससे अधिक की राशि के विशेष रूप से इस कार्य के लिए निविदाकर्ता के बैंकर द्वारा जारी किया गया बैंकर प्रमाणपत्र (विश्वसनीयता का प्रमाणपत्र)			
26.	मुकदमेबाजी/दीवानी मुकदमों/विवादों, यदि कोई हो, की स्व-सत्यापित प्रतियाँ। अन्यथा अनुबंध-VII में "शून्य" का उल्लेख करें।			
27.	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची			
28.	**लिखित फाइल नामों के साथ** आरबीआई में तकनीकी मूल्यांकन की जांच-सूची			
29.	कोई भी अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो	--	--	

मैंने/हमने अनुबंध-VII के अनुसार अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों (प्रत्येक दस्तावेज का आकार 5 एमबी से अधिक न हो) की जांच-सूची को और अनुबंध-IX के अनुसार बैंक में मूल्यांकन की जांच-सूची को पढ़ और समझ लिया है। हम इस जांच-सूची में फाइल नामों का उल्लेख कर रहे हैं और इस जांच-सूची के सभी बिन्दुओं के लिए दस्तावेजों को अपलोड कर रहे हैं।

दिनांक : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और सील के साथ)

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय ग्राहकों द्वारा जारी किए गए इस दस्तावेज़ की प्रमाणित स्कैन प्रति (<u>पीडीएफ फॉर्मेट</u>) अवश्य अपलोड की जाए।

अनुबंध -X

(गोपनीय, जब भरा जाए)

अग्नि संरक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी/एजेंसी/फर्म के कार्य-निष्पादन के संबंध में

ग्राहक का प्रमाणपत्र

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक (अथवा) जिस किसी से भी संबंधित हो

सैक्टर - 17,

चंडीगढ़ 160017

क्र. सं.	**विवरण**	**टिप्पणी**
1.	अग्नि संरक्षा सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी का नाम और पता	
2.	वह स्थान जहां सेवा का लाभ उठाया गया	
3.	करार और नवीकरण, यदि कोई हो, की अवधि।	
4.	संविदा के दौरान किसी भी समय लगाए गए कार्मिकों की अधिकतम संख्या	
5.	सेवा का मूल्य (कुल/वर्ष वार)	
6.	संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के संबंध में टिप्पणियाँ	संतोषजनक/असंतोषजनक
7.	संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन न करने के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना या की गई कटौती या लंबित मुक़दमेबाज़ी	

8.	समग्र कार्य-निष्पादन	संतोषजनक/असंतोषजनक
9.	अन्य कोई सूचना	

दिनांक:

ग्राहक के हस्ताक्षर सील के साथ

ग्राहक का पूरा पता

अन्य ग्राहकों से प्राप्त किए गए कार्य निष्पादन /समापन प्रमाण पत्र ऊपर निर्दिष्ट के अलावा किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों में ऊपर मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। यदि अपलोड किए गए प्रमाणपत्र ऊपर मांगी गई जानकारी को स्थापित नहीं करते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए इस दस्तावेज़ की प्रमाणित स्कैन प्रति (<u>पीडीएफ फॉर्मेट</u>) अवश्य अपलोड की जाए।

अनुबंध-XI

<u>बैंकर से वित्तीय साख प्रमाणपत्र</u>

(अनुसूचित बैंक के पत्रशीर्ष पर)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

चण्डीगढ़- 160017

हम प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स... (आवेदक का नाम और पता) का .... से हमारे साथ बचत बैंक खाता / चालू खाता (जो भी लागू न हो उसे काट दें) संख्या .... है। उक्त खाता .... (आवेदक का नाम) द्वारा संतोषजनक रूप से संचालित किया जा रहा है। अग्नि संरक्षा सेवाएं प्रदान करने में व्यवसाय संचालन के लिए उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है और वे अग्नि संरक्षा सेवाएं प्रदान करने में 36 लाख रुपए (छत्तीस लाख रुपए मात्र) का टर्नओवर करने में सक्षम हैं।

यह प्रमाण पत्र किसी भी गारंटी या बैंक के इसके किसी भी कार्यालय की ज़िम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

बैंक के लिए नाम, पदनाम और सील के साथ

एमएसटीसी ईकॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय, विधिवत् भरी गई स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) को अवश्य अपलोड करें।

अनुबंध -XII

टर्नओवर और अनुभव प्रमाणपत्र

क्र. सं.	वर्ष	लगाए गए अग्निशमन स्टाफ की कुल संख्या	अग्नि संरक्षा सेवाओं से टर्नओवर (रुपए में)	लगाए गए कार्मिकों की कुल संख्या (अग्निशमन+ अन्य सभी)	कंपनी का कुल टर्नओवर (रुपए में)	टिप्पणी
1.	2015-16					प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर विवरणी और सीए प्रमाणपत्र अपलोड करें
2.	2016-17					
3.	2017-18					
4.	2018-19					
5.	2019-20					

पिछले **5** वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूरे किए गए समान कार्यों वाले प्रत्येक पूर्ण कार्य अनुभव का मूल्य

(अनुभाग-III पैरा 3 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	कार्य की अवधि (2015-16)	ग्राहक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर (सरकारी / अर्ध-सरकारी / बैंक / अन्य	लगाए गए अग्निशमन स्टाफ की संख्या	अग्नि संरक्षा सेवा से कार्य का मूल्य (रुपए में)	टिप्पणी
					प्रत्येक कार्य के लिए पैरा 3.1 और 3.4 में दिए निर्देशों के अनुसार अलग ग्राहक प्रमाणपत्र अपलोड करें

दिनांक :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम/पदनाम और सील के साथ)

<u>अनुबंध XIII</u>

<u>कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा</u>

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: ___________

दिनांकः___________

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
चण्डीगढ़- 160017

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चण्डीगढ़-160017 के कार्यालय परिसर में अग्नि संरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए संविदा

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर-17, चण्डीगढ़-160017 में अपने कार्यालय के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई में स्थित है (जिसे इसके उपरांत "आरबीआई" कहा जाएगा), ने मैसर्स ....(ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके उपरांत "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति में उनके विधिक उतराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे) को शीर्षक में दिए गए कार्य के लिए संविदा अवॉर्ड की है।

और

जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा इस संविदा में निहित निबंधनों और शर्तों की उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति हेतु ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) की कुल राशि की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम,________________________________(बैंक का नाम), (जिसे इसके उपरांत "बैंक" कहा जाएगा), मैसर्स_____________________________________, ठेकेदार, के अनुरोध पर, इसके द्वारा संविदा के निबंधनों व शर्तों की उचित पूर्ति के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) तक की राशि का आरबीआई को भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्षी है

1. हम ____________________ (बैंक का नाम) एतदद्वारा इसके साथ सहमत है और भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती को वचन देते है कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने संविदा की उक्त शर्तों के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं का निष्पादन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा, हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, आरबीआई को बिना किसी अवरोध के ₹1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) राशि या कोई कमतर राशि का भुगतान करेंगे जिसकी आरबीआई द्वारा मांग की जाती है। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार की प्रतिबद्धताओं के निष्पादन के देय निष्पादन के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के समान माना जाएगा बशर्तें कि, तथापि यह कि ऐसी राशि के प्रति हमारी देयता ₹ 1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी वचन देने है और पुष्टि करते है कि महज आरबीआई की मांग पर लिखित में नोटिस की प्राप्ति जिसमें यह कहा गया होगा कि यह राशि उन्हे देय है, उपर्युक्त राशि ₹ 1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) तक का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या अवरोध के किया जाएगा और हम किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त साक्ष्य या प्रमाण नहीं मांगेगे तथा आरबीआई से प्राप्त नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा इस विषय में किसी भी प्रकार से या संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण, अथवा विवाचकों के समक्ष लंबित कानूनी मामले या कार्यवाहियों में ठेकेदार द्वारा द्वारा किए गए विवाद / विवादों के बावजूद आरबीआई द्वारा इस प्रकार मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के अंतर्गत देयता निरपेक्ष और असंदिग्ध होगी। हम उपर्युक्त तरीके से नोटिस प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के अंदर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच करार या करारों या अन्य सहमतियों से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी आरबीआई की लिखित में पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी।

हम इसके द्वारा आगे इस बात से सहमत हैं कि -

क) उक्त करार की शर्तों के प्रवर्तन या उक्त संविदा और / या एतद्वारा निर्धारित किसी भी निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में आरबीआई द्वारा दी गई को छूट या कमीशन या कोई समय प्रदान करने या आरबीआई द्वारा ठेकेदार के प्रति कोई भी दया दिखाने या इस संबंध में किसी अन्य मामले से इस गारंटी के अंतर्गत हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। यह गारंटी ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों

के कार्यनिष्पादन और ऐसा करने मे उनकी असफलता की स्थिति में हमारे द्वारा ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) तक के भुगतान से ही सेवामुक्त होगी।

ख) इन विलेखों के तहत हमारी देयता ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारी देयता हमारे उक्त निर्वाचक/ग्राहक की ओर से किसी भी अशक्तता या अनियमितता की वजह से या उसके तहत उनके दायित्वों या किसी विघटन या हमारे उक्त निर्वाचकों के गठन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

घ) यह गारंटी संविदा अवधि (अर्थात इस संविदा के लिए 31 मई 2022 तक) से परे साठ (60) दिनों तक लागू रहेगी बशर्ते यदि आरबीआई द्वारा मांगा गया हो तो, यह गारंटी आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत कर दी जाएगी जैसा कि उनके द्वारा इसमें निहित समान निबंधनों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है।

ङ) जब तक कि यहां ऊपर दिए अनुसार ....को या उस दिन जब हमारे उक्त निर्वाचक व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन करते हैं, ये विलेख नवीकृत नहीं होते तो इन विलेखों के तहत हमारा दायित्व समाप्त हो जाएगा, जिसके संबंध में जो भी तारीख बाद में हो, अकेले आरबीआई द्वारा लिखित में एक प्रमाणपत्र निर्णायक प्रमाण है। जब तक ....या किसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर हमारे विरूद्ध कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दर्ज नहीं की जाती तब तक इस गारंटी के तहत हमारे विरूद्ध आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत हमारे सारे दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके साथ विधिवत प्राधिकृत बैंक के मैंने/हमने ....(माह) के ....दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

____**(बैंक का नाम) के लिए और की ओर से**

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और सील

नामः

पदनाम

बैंक की स्टाम्प/सील

निम्न की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम से बैंक के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित, सील किया गया और सौंपा गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

(एनबीः इस कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी जहां इसे निष्पादित किया गया है और यह उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार सत्यापित किए जाएंगे।)

भाग – II: वित्तीय बोली

अनुभाग VII

वित्तीय /मूल्य बोली के निबंधन और शर्तें

1. बोलीदाता को केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए औद्योगिक श्रमिकों (निर्माण या रखरखाव श्रेणी) हेतु लागू नवीनतम केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी दिशानिर्देशों के अनुसार मजदूरी की गणना करनी होगी।
2. परिगणना पत्रक में उल्लिखित आंकड़े निविदा तैयार करते समय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार लिए गए हैं और तदनुरूपी सांविधिक प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं द्वारा परिवर्तन के अधीन हैं। बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत करते समय सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशित प्रचलित दरों के अनुसार वित्तीय बोली के परिगणना पत्रक के कॉलम (3) में ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/जीएसटी आंकड़ों (%) की दर का उल्लेख करना होगा और तदनुसार राशियों की गणना करनी होगी।
3. न्यूनतम मजदूरी, वीडीए, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जीएसटी आदि जैसी इन सांविधिक दरों में भविष्य में कोई भी वृद्धि या कमी दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगी और बैंक द्वारा तदनुसार भुगतान किया जाएगा।

4. लगाए गए हाउसकीपिंग स्टाफ और निविदा दस्तावेज़ के विस्तृत निबंधन और शर्तों में उल्लिखित वर्दी और सहायक सामग्री आदि के प्रति खर्चों के माध्यम से कार्य पूरा करने हेतु प्रबंधकीय/पर्यवेक्षी/ प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने में शामिल खर्चों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रभार कोट किया जाना चाहिए। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदा की अवधि के दौरान इस राशि में संशोधन के बारे में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
5. बोलीदाता एमएसटीसी ईकॉमर्स वेबसाइट पर मूल्य बोली (भाग-II) में परिगणना पत्रक की पंक्ति संख्या “एन” (अर्थात रिलीवर के साथ 03 फायर सुपरवाइजरों (प्रशिक्षित) और रिलीवर के साथ 06 फायरमैन (अर्धकुशल) की कुल लागत) में परिगणना के अनुसार ही राशि प्रस्तुत करेगा। वेबसाइट बारह महीनों के लिए कुल लागत की स्वतः गणना कर लेगी।

6. केवल वित्तीय/मूल्य बोली द्वारा बोलीदाता का एल1 होना संविदा के अवार्ड के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। यदि बोलीदाता नवीनतम सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप सही आंकड़े कोट करने में विफल रहते हैं तो उनकी वित्तीय/मूल्य बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

7. ऑनलाइन वित्तीय/मूल्य बोली खुलने के बाद, प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार कोट की राशि की वैधता की जांच करने और संविदा के अवार्ड पर निर्णय लेने के लिए बैंक द्वारा

मांगे जाने पर बोलीदाता परिगणना पत्रक प्रस्तुत करेंगे। इस स्तर पर, ऑनलाइन प्रस्तुत की गई राशि में कोई परिवर्तन/सुधार की अनुमति नहीं होगी।

अनुबंध -XIV

परिगणना पत्रक

(महत्वपूर्ण: इस परिगणना पत्रक को अपलोड न करें)

एमएसटीसी ईकॉमर्स वेबसाइट पर मूल्य बोली (भाग-II) में परिगणना पत्रक की पंक्ति संख्या "एन" (अर्थात एक महीने के लिए 03 शिफ्ट सुपरवाइजरों और रिलीवर के साथ 06 फायरमैन की कुल लागत) में परिगणना के अनुसार राशि प्रस्तुत करें। वेबसाइट बारह महीनों के लिए कुल लागत की स्वतः गणना कर लेगी ।

क्र.सं.	विवरण	% में दर	रिलीवर के साथ शिफ्ट सुपरवाइजर (प्रशिक्षित) के लिए राशि	रिलीवर के साथ फायरमैन (अर्धकुशल) के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए.	एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी + परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (**26दिनों/ड्यूटी के लिए**)			
बी.	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का नियोक्ता अंशदान ईडीएलआई और प्रशासन प्रभार सहित, यदि कोई हो (अधिकतम 15000.00 रुपए वेतन पर लागू या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि की अधिकतम सीमा के अधीन)	(ऊपर "ए" का 13%)		
सी.	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का नियोक्ता अंशदान प्रशासन प्रभार सहित, यदि कोई हो (वेतन 21000.00 रुपए या समय-समय पर ईएसआईसी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि से अधिक होने पर लागू नहीं)	(ऊपर "ए" का 3.25%)		

डी.	प्रति माह बोनस (वेतन 21000.00 रुपए या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अद्यतन किसी अन्य राशि से अधिक होने पर लागू नहीं)	(ऊपर “ए” का 8.33%)		
ई.	पूर्ण योग (क्रम “ए” से “डी” तक का योग)			
एफ.	राहत प्रभार (क्रम “ई” का 1/6वां)			
जी.	पूर्ण योग (क्रम “ई” और “एफ” का योग)			
एच.	सेवा प्रभार	(ऊपर “जी” का __%)		
आई.	एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति लागत (26 ड्यूटी) (क्रम “जी” और “एच” का योग)			
जे.	जीएसटी (आईजीएसटी या सीजीएसटी + यूटीजीएसटी)	(ऊपर “आई” का 18%)		
के.	एक महीने के लिए प्रति व्यक्ति लागत (26 ड्यूटी) जीएसटी के साथ (क्रम “आई” और “जे” का योग)			
एल	एक महीने के लिए रिलीवर के साथ 06 फायरमैन के लिए लागत (06 x के (कॉलम 5)” अर्थात 06 x एक महीने के लिए रिलीवर के साथ 01 फायरमैन की प्रति व्यक्ति लागत)		X	
एम	एक महीने के लिए 03 शिफ्ट सुपरवाइजरों की लागत			X

	(03 x के (कॉलम 4)" अर्थात 3 x एक महीने के लिए रिलीवर के साथ 01 शिफ्ट सुपरवाइजर की प्रति व्यक्ति लागत)		
एन	रिलीवर के साथ 03 शिफ्ट सुपरवाइजरों, रिलीवर के साथ 06 फायरमैन **अर्थात एक महीने के लिए** ("एल" + "एम")	**(इस राशि को एमएसटीसी वेबसाइट पर दर्ज करें)**	

ओ.	**बारह महीने के लिए** रिलीवर के साथ 03 शिफ्ट सुपरवाइजरों और 06 फायरमैन के लिए कुल लागत (12 x "एन") इसकी गणना एमएसटीसी वेबसाइट द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी।	